"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 28] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 10 जुलाई 2015—आषाढ़ 19, शक 1937

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 29 जून 2015

क्रमांक एफ 1-06/2015/1-15.—राज्य शासन एतद्द्वारा भारतीय वन सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान प्राप्त, उप वन संरक्षक संवर्ग के अधिकारियों को प्रवर श्रेणी वेतनमान में नियुक्ति हेतु छानबीन समिति की बैठक दिनांक 11-06-2015 में किये गये अनुशंसा अनुसार, भारतीय वन सेवा (वेतन) नियम, 2007 के नियम 3 (2) (i) (iii) के अंतर्गत, निम्नलिखित भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख दर्शाए गए स्तंभ-3 में उल्लेखित तिथि से प्रवर श्रेणी वेतनमान पी.बी. 4 : रुपये 37400-67000 एवं ग्रेड वेतन रुपये 8700/- में अस्थाई रूप से,

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.

आगामी आदेश तक नियुक्त करता है तथा उनकी पदस्थापना यथावत् रखी जाती है :—

क्र.	अधिकारी का नाम	प्रवर श्रेणी वेतनमान में नियुक्ति की तिथि
1.	श्री मोहम्मद शाहिद, भा.व.से. (CG : 2002)	01-01-2015
2.	श्री अभय कुमार श्रीवास्तव, भा.व.से. (CG : 2002)	01-01-2015
3.	श्री राजेश के. पाण्डेय, भा.व.से. (CG : 2002)	01-01-2015

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्र. 16017/10/2014-IFS. II, दिनांक 26 फरवरी, 2015 द्वारा प्रवर श्रेणी वेतनमान में नियुक्ति हेतु 11 रिक्तियों का निर्धारण किया गया है.

नया रायपुर, दिनांक 30 जून 2015

क्रमांक एफ 1-03/2015/1-15.—राज्य शासन एतद्द्वारा डॉ. अरविन्द अनिल बोआज, भा.व.से. (1979), प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य वन विकास निगम लि., रायपुर को दिनांक 01-07-2015 से प्रधान मुख्य वन संरक्षक शीर्षस्थ वेतनमान (Apex Scale Rs. 80,000/- Fixed) में पदोन्नत करते हुये अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख के पद पर पदस्थ किया जाता है.

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से डॉ. अरविन्द अनिल बोआँज, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य वन विकास निगम लि., रायपुर के प्रभार से मुक्त होंगे.

नया रायपुर, दिनांक 30 जून 2015

क्रमांक एफ 1-04/2015/1-15.—राज्य शासन एतद्द्वारा डॉ. नवीन चन्द पंत, भा.व.से. (1981), अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वित्त बजट) कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छ.ग. रायपुर को प्रधान मुख्य वन संरक्षक वेतनमान (HAG+75500-80000 GP : Nil) में पदोन्नति प्रदान करता है.

पदोन्नति उपरांत डॉ. नवीन चन्द पंत को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य वन विकास निगम लिमि., रायपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

2. डॉ. नवीन चन्द पंत के द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से भारतीय वन सेवा (वेतन) नियम, 2007 के नियम-11 के अंतर्गत प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य वन विकास निगम लिमि., रायपुर के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय वन सेवा के प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद के समकक्ष घोषित किया जाता है.

नया रायपुर, दिनांक 30 जून 2015

क्रमांक एफ 1-05/2015/1-15.—राज्य शासन एतद्द्वारा उप वन संरक्षक स्तर के निम्नांकित भारतीय वन सेवा अधिकारियों को वन संरक्षक, वेतनमान PB-4 : 37,400-67000 एवं GP : 8900 के पद पर पदोन्नत करता है :—

1. श्रीमती शालिनी रैना, भा.व.से. (CG : 2001)
2. श्री के. के. खेलवार, भा.व.से. (CG : 2001)
3. श्री एन. के. पाण्डेय, भा.व.से. (CG : 2001)
4. श्री अनिल सोनी, भा.व.से. (CG : 2001)
5. श्री सत्य प्रकाश मसीह, भा.व.से. (CG : 2001)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निधि छिब्बर, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 24 जून 2015

क्रमांक एफ 7-25/2014/एक/15.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अमरनाथ प्रसाद, वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल कांकेर को दिनांक 15-06-2015 से 19-06-2015 तक कुल 05 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 14 तथा 20-21 जून 2015 के राजपत्रित अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री प्रसाद, वनमण्डलाधिकारी, वन मण्डल कांकेर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री प्रसाद को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रसाद अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 25 जून 2015

क्रमांक एफ 1-43/2001/एक/15.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री जे. के. उपाध्याय, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वि./यो.), रायपुर को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29-05-2015 द्वारा स्वीकृत अर्जित अवकाश को निरस्त कर दिनांक 08-06-2015 से 17-06-2015 तक कुल 10 दिवस का संशोधित अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

नया रायपुर, दिनांक 25 जून 2015

क्रमांक एफ 1-85/2001/एक/15.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री यूनुस अली, प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम, रायपुर को दिनांक 25-06-2015 से 04-07-2015 तक कुल 10 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा श्री यूनुस अली, भा.व.से. को भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के कार्यालयीन ज्ञापन क्रमांक 31011/4/2008-Estt. (A), दिनांक 23-09-2008 के अनुसार अधिकतम 10 दिवस का अर्जित अवकाश नगदीकरण (समर्पित) करने की अनुमति दी जाती है.

3. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त समर्पित अवकाश का समायोजन, संबंधित अधिकारी के अवकाश लेखा में किया जाकर आवश्यक प्रविष्टियां उनकी सेवा-पुस्तिका में कर दी गई है.

4. अवकाश से लौटने पर श्री अली, प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम, रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

5. अवकाश अवधि में श्री अली को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

6. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अली अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 29 जून 2015

क्रमांक एफ 7-26/2014/एक/15.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री के. सी. यादव, भा.व.से. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (मा.सं.वि. व सू.प्रौ.) छत्तीसगढ़ रायपुर को दिनांक 09-06-2015 से 18-06-2015 तक कुल 10 दिवस अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री यादव, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (मा.सं.वि. व सू.प्रौ.) छत्तीसगढ़ रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री यादव को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री यादव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 30 जून 2015

क्रमांक एफ 7-23/2015/एक/15.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री एस. जगदीशन, वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण कोण्डागांव वनमंडल, कोण्डागांव को दिनांक 02-05-2015 से 08-05-2015 तक कुल 07 दिवस अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री जगदीशन, वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण कोण्डागांव वनमंडल, दक्षिण कोण्डागांव के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री जगदीशन को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जगदीशन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 1 जुलाई 2015

क्रमांक एफ 7-19/2014/एक-14/भापुसे.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 18-05-2015, जिसके द्वारा श्री अशोक जुनेजा, भापुसे, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग को दिनांक 25-05-2015 से 30-05-2015 तक (कुल 06 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है.

2. राज्य शासन, एतद्द्वारा, उक्त आदेश को निरस्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एल. आदिले, उप-सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 25 मई 2015

क्रमांक एफ 7-47/2014/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए पिथौरा निवेश क्षेत्र, जिला महासमुंद का गठन करती है जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चित् की गई है :—

अनुसूची

पिथौरा निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम अर्जूनी, सरकण्डा, अट्ठारहगुड़ी, राजासेवेयाखुर्द एवं डोंगरीपाली ग्राम की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व में : ग्राम डोंगरीपाली, सेवैयाकला, डिघेपुर, जंघोरा, खुटेरी एवं अरंड ग्राम की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में : ग्राम अरंड एवं कौहाकुड़ा ग्राम की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम में : ग्राम कौहाकुड़ा, बरतुंगा, गड़बेड़ा, मुढ़ीपार एवं अर्जूनी ग्राम की पश्चिमी सीमा तक.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, संयुक्त सचिव.

गृह-सी विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 मई 2015

क्रमांक एफ 09-01/गृह-सी/परीक्षा/2015.—सामान्य प्रशासन विभाग, भू-अभिलेख तथा राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 12 जनवरी, 2015 को प्रथम प्रश्न पत्र "दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्नलिखित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

स. क्र. (1)	परीक्षार्थियों के नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री आशुतोष चतुर्वेदी	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
2.	कु. नमिता मारकोले	नायब तहसीलदार	सश्रेय से उत्तीर्ण
3.	श्रीमती प्रेमलता मण्डावी	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
4.	श्री सुभाष कुमार शुक्ला	नायब तहसीलदार	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
5.	श्रीमती कमलेश नंदिनी साहू	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
6.	कु. निधि साहू	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
7.	श्री सुनील अग्रवाल	नायब तहसीलदार	सश्रेय से उत्तीर्ण
8.	श्री चित्रकांत चाली ठाकुर	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
9.	श्री अखिलेश साहू	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 25 मई 2015

क्रमांक एफ 09-02/गृह-सी/परीक्षा/2015.—पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 12 जनवरी, 2015 को प्रथम प्रश्न पत्र "पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया" (केवल अधिनियम तथा नियम की पुस्तकों सहित, टिप्पणी रहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्नलिखित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

स. क्र. (1)	परीक्षार्थियों के नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री शैलेन्द्र कुमार ठाकुर	पंजीयन लिपिक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
2.	श्री विनोद कुमार भतरिया	रिकार्ड कीपर	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
3.	श्री रामकुमार घिलाहरे	पंजीयन लिपिक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
4.	श्री किशोर कुमार	पंजीयन लिपिक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
5.	श्री अश्वनी कुमार गढ़ेवाल	पंजीयन लिपिक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
6.	श्री सुभाष कुमार गढ़पायले	पंजीयन लिपिक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
7.	सुश्री हर्षा उपाध्याय	पंजीयन लिपिक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
8.	श्री प्रेमलाल धुर्वे	पंजीयन लिपिक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
9.	श्री रणवीर सिंह किरार	पंजीयन लिपिक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
10.	श्री अनिल कुमार सलाम	पंजीयन लिपिक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
11.	श्रीमती पारूल अवस्थी	पंजीयन लिपिक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण

(1)	(2)	(3)	(4)
12.	श्री आशुतोष अग्रवाल	पंजीयन लिपिक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
13.	श्रीमती सरोज चक्रवर्ती	पंजीयन मुहर्रिर	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
14.	श्री मनोज कुमार साहू	पंजीयन लिपिक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
15.	श्री कौशल कुमार ठाकुर	पंजीयन लिपिक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
16.	कु. डिम्पल सिन्हा	पंजीयन लिपिक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
17.	श्री आतिश देवांगन	पंजीयन लिपिक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र बिलासपुर		
18.	श्री प्रशांत कुमार जोल्हे	पंजीयन लिपिक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
19.	सुश्री सुरंजना भगत	पंजीयन लिपिक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
20.	श्री अजवेश कुमार विश्वकर्मा	पंजीयन लिपिक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
21.	श्री आशीष कुमार तिवारी	पंजीयन लिपिक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
22.	कु. सुजाता साहू	पंजीयन लिपिक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
23.	कु. नीलिमा पैकरा	पंजीयन लिपिक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
24.	श्री संतराम साहू	पंजीयन लिपिक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
25.	श्री सुरेन्द्र कुमार देवांगन	पंजीयन लिपिक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
26.	सुश्री मीना मरकाम	पंजीयन लिपिक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र बस्तर (जगदलपुर)		
27.	श्री विजय एक्का	पंजीयन लिपिक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
28.	श्री प्रेमलाल मण्डावी	पंजीयन लिपिक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
29.	श्री घनश्याम सिंह ठाकुर	पंजीयन लिपिक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र सरगुजा (अंबिकापुर)		
30.	श्री अनुराग भगत	पंजीयन लिपिक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
31.	श्री बसंत कुमार कुजूर	पंजीयन लिपिक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
32.	श्री रोबर्ट तिर्की	पंजीयन लिपिक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
33.	श्री अनुराग वैश्य	पंजीयन लिपिक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
34.	श्री देवेन्द्र कुमार साहू	पंजीयन लिपिक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
35.	कु. स्मृति लाल	पंजीयन लिपिक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 25 मई 2015

क्रमांक एफ 09-04/गृह-सी/परीक्षा/2015.—वाणिज्यिक कर विभाग के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 12 जनवरी, 2015 को प्रश्न पत्र "विधि एवं प्रक्रिया" (पुस्तकों सहित केवल अधिनियम) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्नलिखित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

स. क्र. (1)	परीक्षार्थियों के नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री अमितेष कुमार नेताम	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	श्री महेन्द्र प्रताप सिंह तिवारी	वाणिज्यिक कर अधिकारी	सश्रेय से उत्तीर्ण
3.	श्री तरूण कुमार किरण	वाणिज्यिक कर अधिकारी	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
4.	श्री रामनरेश चौहान	वाणिज्यिक कर अधिकारी	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 25 मई 2015

क्रमांक एफ 09-14/गृह-सी/परीक्षा/2015.—सहकारिता विभाग के सहायक पंजीयकों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 13 जनवरी, 2015 को तीसरा प्रश्न पत्र "बैंकिग" (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्नलिखित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

स. क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री युगल किशोर	सहायक पंजीयक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
2.	श्री गौरीशंकर शर्मा	सहायक पंजीयक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 25 मई 2015

क्रमांक एफ 09-15/गृह-सी/परीक्षा/2015.—समाज कल्याण विभाग के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 13 जनवरी, 2015 को प्रश्न पत्र "समाज शिक्षा" (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्नलिखित परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

स. क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री अजित कुमार तिर्की	समाज शिक्षा संगठक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 25 मई 2015

क्रमांक एफ 09-30/गृह-सी/परीक्षा/2015.—समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 15 जनवरी, 2015 को प्रथम प्रश्न पत्र "लेखा" (बिना पुस्तकों के) एवं द्वितीय प्रश्न पत्र (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्नलिखित परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

स. क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री अजित कुमार तिर्की	समाज शिक्षा संगठक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 25 मई 2015

क्रमांक एफ 09-34/गृह-सी/परीक्षा/2015.—उद्योग विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 15 जनवरी, 2015 को प्रश्न पत्र "लेखा" विषय में सम्पन हुई थी, में सम्मिलित निम्नलिखित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

स. क्र. (1)	परीक्षार्थियों के नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	कु. क्षमा कौशिक	सहायक प्रबंधक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
		परीक्षा केन्द्र बिलासपुर	
2.	श्री प्रफुल्ल कुमार जोशी	सहायक प्रबंधक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
3.	श्री शांति कुमार सिदार	सहायक प्रबंधक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
		परीक्षा केन्द्र बस्तर (जगदलपुर)	
4.	श्री लोकेश कुमार खापर्डे	सहायक प्रबंधक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
5.	श्री एन. कुमार देवांगन	सहायक प्रबंधक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
6.	श्री बजरंग साय	सहायक प्रबंधक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
		परीक्षा केन्द्र सरगुजा (अंबिकापुर)	
7.	श्री ओंकार साय	सहायक प्रबंधक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 25 मई 2015

क्रमांक एफ 09-42/गृह-सी/परीक्षा/2015.—सहकारिता विभाग के सहायक पंजीयकों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 16 जनवरी, 2015 को प्रश्न पत्र "किसी मामले में आदेश/प्रतिवेदन लिखने की व्यवहारिक परीक्षा" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्नलिखित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

स. क्र. (1)	परीक्षार्थियों के नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री गौरीशंकर शर्मा	सहायक पंजीयक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
2.	श्री युगल किशोर	सहायक पंजीयक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 26 मई 2015

क्रमांक एफ 09-03/गृह-सी (परीक्षा)/2015.—वाणिज्यिक कर (आबकारी विभाग) के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 12 जनवरी, 2015 को प्रश्न पत्र "विधि एवं प्रक्रिया"- उत्पादन शुल्क/आबकारी विभाग (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्नलिखित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

स. क्र.	परीक्षार्थियों के नाम	पदनाम	उत्तीर्ण होने का स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री सौरभ बख्शी	जिला आबकारी अधिकारी	सश्रेय से उत्तीर्ण
2.	श्री विशेश्वर साव	आबकारी उप निरीक्षक	सश्रेय से उत्तीर्ण
3.	सुश्री शीलारानी एक्का	आबकारी उप निरीक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 26 मई 2015

क्रमांक एफ 09-05/गृह-सी (परीक्षा)/2015.—सहकारिता विभाग के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 12 जनवरी, 2015 को प्रथम प्रश्न पत्र "सहकारिता सामान्य" (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्नलिखित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

स. क्र.	परीक्षार्थियों के नाम	पदनाम	उत्तीर्ण होने का स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री गौरीशंकर शर्मा	सहायक पंजीयक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
2.	श्री युगल किशोर	सहायक पंजीयक	सश्रेय से उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र बिलासपुर		
3.	श्री प्रदीप ठाकुर	सहायक पंजीयक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 26 मई 2015

क्रमांक एफ 09-07/गृह-सी/परीक्षा/2015.—सहकारिता विभाग के सहायक पंजीयकों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 12 जनवरी, 2015 को "सहकारिता तथा सामान्य विधि" द्वितीय प्रश्न पत्र (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्नलिखित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

स. क्र.	परीक्षार्थियों के नाम	पदनाम	उत्तीर्ण होने का स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री युगल किशोर	सहायक पंजीयक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

(1)	(2)	(3)	(4)
	परीक्षा केन्द्र बिलासपुर		
2.	श्री प्रदीप ठाकुर	सहायक पंजीयक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 26 मई 2015

क्रमांक एफ 09-13/गृह-सी/परीक्षा/2015.—उद्योग विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 13 जनवरी, 2015 को प्रश्न पत्र "प्रक्रिया विकास योजनाओं राज्य के साधनों, राज्य की नियम पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्नलिखित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

स. क्र. (1)	परीक्षार्थियों के नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री शशीकान्त सिंह भुवाल	सहायक प्रबंधक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
2.	श्री लवकेश कुमार ध्रुव	सहायक प्रबंधक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 26 मई 2015

क्रमांक एफ 09-21/गृह-सी/परीक्षा/2015.—सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 14 जनवरी, 2015 को प्रश्न पत्र "सिविल विधि तथा प्रक्रिया" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्नलिखित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

स. क्र. (1)	परीक्षार्थियों के नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री सुभाष कुमार शुक्ला	नायब तहसीलदार	सश्रेय से उत्तीर्ण
2.	श्री सुनील अग्रवाल	नायब तहसीलदार	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
3.	कु. निधि साहू	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
4.	श्रीमती कमलेश नंदिनी साहू	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
5.	श्री अरविन्द शर्मा	नायब तहसीलदार	सश्रेय से उत्तीर्ण
6.	श्री शिवनाथ बघेल	नायब तहसीलदार	सश्रेय से उत्तीर्ण
7.	श्री आशुतोष चतुर्वेदी	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
8.	श्री अखिलेश साहू	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
9.	श्री प्रीतम सिंह चौहान	नायब तहसीलदार	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र सरगुजा (अंबिकापुर)		
10.	श्री रामबिलास मानिकपुरी	राजस्व निरीक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
11.	श्री राधेश्याम तिर्की	राजस्व निरीक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 26 मई 2015

क्रमांक एफ 09-26/गृह-सी/परीक्षा/2015.—सहकारिता विभाग के सहायक पंजीयकों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 14 जनवरी, 2015 को "सहकारी लेखा प्रश्न पत्र-4" (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्नलिखित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

स. क्र. (1)	परीक्षार्थियों के नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री गौरीशंकर शर्मा	सहायक पंजीयक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
2.	श्री युगल किशोर	सहायक पंजीयक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र बिलासपुर		
3.	श्री प्रदीप ठाकुर	सहायक पंजीयक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 26 मई 2015

क्रमांक एफ 09-32/गृह-सी/परीक्षा/2015.—आबकारी विभाग (उत्पाद शुल्क) के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 15 जनवरी, 2015 को प्रश्न पत्र "लेखा" (पुस्तकों सहित) उत्पाद शुल्क/आबकारी विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्नलिखित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

स. क्र. (1)	परीक्षार्थियों के नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री सौरभ बख्शी	जिला आबकारी अधिकारी	सश्रेय से उत्तीर्ण
2.	श्री विशेश्वर साव	आबकारी उप निरीक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
3.	सुश्री शीलारानी एक्का	आबकारी उप निरीक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 26 मई 2015

क्रमांक एफ 09-36/गृह-सी/परीक्षा/2015.—जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 15 जनवरी, 2015 को प्रश्न पत्र "लेखा" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्नलिखित परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बस्तर (जगदलपुर)

स. क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री सौरभ शर्मा	सहायक संचालक, जनसंपर्क	सश्रेय से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 26 मई 2015

क्रमांक एफ 09-37/गृह-सी/परीक्षा/2015.—पशु चिकित्सा विभाग के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 16 जनवरी, 2015 को प्रथम प्रश्न पत्र "लेखा" (बिना पुस्तकों) के द्वितीय प्रश्न पत्र (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्नलिखित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

स. क्र. (1)	परीक्षार्थियों के नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	कु. डॉ. दीपमाला देवांगन	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	प्रथम एवं द्वितीय प्रश्न पत्र में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र बिलासपुर		
2.	डॉ. अजय कुमार पटेल	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	प्रथम एवं द्वितीय प्रश्न पत्र में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
3.	डॉ. भुजेन्द्र सोनी	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	प्रथम एवं द्वितीय प्रश्न पत्र में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
4.	डॉ. तापसी मण्डल	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	प्रथम एवं द्वितीय प्रश्न पत्र में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
5.	डॉ. भूषण प्रसाद साहू	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	प्रथम एवं द्वितीय प्रश्न पत्र में उच्चस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 26 मई 2015

क्रमांक एफ 09-45/गृह-सी/परीक्षा/2015.—सभी विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 19 जनवरी, 2015 को प्रश्न पत्र "हिन्दी" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्नलिखित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

स. क्र. (1)	परीक्षार्थियों के नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	कु. डॉ. दीपमाला देवांगन	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र बस्तर (जगदलपुर)		
2.	सुश्री स्मृति कोल्हे	सहायक संचालक कृषि	उत्तीर्ण
3.	श्री सत्यजीत सिंह कंवर	सहायक संचालक कृषि	उत्तीर्ण
4.	श्री विकास साहू	सहायक संचालक कृषि	उत्तीर्ण
5.	श्री चन्दन कुमार राय	सहायक संचालक कृषि	उत्तीर्ण
6.	कु. मुक्ता जोशी	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी	उत्तीर्ण
7.	श्री जितेन्द्र कुमार कोमरा	सहायक संचालक कृषि	उत्तीर्ण

(1)	(2)	(3)	(4)
8.	श्री आनन्द राम नेताम	कृषि विकास अधिकारी	उत्तीर्ण
9.	श्रीमती शांता मरकाम	कृषि विकास अधिकारी	उत्तीर्ण
10.	श्री तरूण कुमार प्रधान	सहायक संचालक कृषि	उत्तीर्ण
11.	श्री आसमन लाल नेताम	कृषि विकास अधिकारी	उत्तीर्ण
12.	श्री एन. कुमार देवांगन	सहायक प्रबंधक उद्योग	उत्तीर्ण
13.	श्रीमती मीना नेताम	कृषि विकास अधिकारी	उत्तीर्ण
14.	श्री कैलाश नाथ मरकाम	सहायक संचालक कृषि	उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 10 जून 2015

क्रमांक एफ 09-06/गृह-सी/परीक्षा/2015.—सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 12 जनवरी, 2015 को "दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया" द्वितीय प्रश्न पत्र दाण्डिक मामले में आदेश/निर्णय लिखा जाना विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्नलिखित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

स. क्र.	परीक्षार्थियों के नाम	पदनाम	उत्तीर्ण होने का स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री सुभाष कुमार शुक्ला	नायब तहसीलदार	सश्रेय से उत्तीर्ण
2.	श्री प्रीतम सिंह चौहान	नायब तहसीलदार	सश्रेय से उत्तीर्ण
3.	श्री गोकुल राम रावटे	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
4.	श्री दशरथ सिंह राजपूत	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
5.	श्री देवेन्द्र पटेल	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
6.	श्री बजरंग कुमार दुबे	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
7.	श्री आशुतोष चतुर्वेदी	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
8.	श्री शिवकुमार बनर्जी	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
9.	श्री अजय कुमार त्रिपाठी	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
10.	सुश्री पूनम तिवारी	नायब तहसीलदार	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
11.	श्री मुकेश कुमार देवांगन	नायब तहसीलदार	सश्रेय से उत्तीर्ण
12.	डॉ. सुभाष सिंह राज	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
13.	श्री चित्रकांत चाली ठाकुर	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
14.	श्री रामराज सिंह	नायब तहसीलदार	सश्रेय से उत्तीर्ण
15.	श्री सुनील अग्रवाल	नायब तहसीलदार	सश्रेय से उत्तीर्ण
16.	श्री देवेन्द्र कुमार सिरमौर	नायब तहसीलदार	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
17.	श्री अनिल कुमार सिदार	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
18.	श्री रविकुमार साहू	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
19.	श्री प्रकाश सिंह राजपूत	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
20.	श्री आदित्य कुंजाम	सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख	सश्रेय से उत्तीर्ण
21.	श्री उपेन्द्र किण्डो	सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख	सश्रेय से उत्तीर्ण
22.	श्री मनीष कुमार वर्मा	नायब तहसीलदार	सश्रेय से उत्तीर्ण
23.	श्री पवन कोसमे	नायब तहसीलदार	सश्रेय से उत्तीर्ण
24.	कु. नमिता मारकोले	नायब तहसीलदार	सश्रेय से उत्तीर्ण
25.	श्रीमती प्रेमलता मण्डावी	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
26.	कु. अंकिता सोम	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
27.	श्री उज्जवल पोरवाल	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण

(1)	(2)	(3)	(4)
28.	श्री ओम विकास टंडन	नायब तहसीलदार	सश्रेय से उत्तीर्ण
29.	श्री मनीष देव साहू	नायब तहसीलदार	सश्रेय से उत्तीर्ण
30.	श्री गुड्डू लाल जगत	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
31.	श्री रूपेश कुमार सिंह	नायब तहसीलदार	सश्रेय से उत्तीर्ण
32.	श्री भागवत जायसवाल	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
33.	कु. निधि साहू	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
34.	श्री अखिलेश साहू	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
35.	श्री शैलाभ कुमार साहू	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
36.	श्रीमती कमलेश नंदिनी साहू	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
37.	कु. दीप्ति गौते	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
38.	कु. तुलसी राठौर	नायब तहसीलदार	सश्रेय से उत्तीर्ण
39.	श्री कीर्तिमान सिंह राठौर	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
40.	श्री सुनील कुमार चंद्रवंशी	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र बिलासपुर		
41.	श्री टेकचंद अग्रवाल	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
42.	श्री प्रदीप कुमार साहू	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
43.	श्री आशीष कुमार टिकरिहा	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र बस्तर (जगदलपुर)		
44.	श्री दिनेश सिंह ठाकुर	राजस्व निरीक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
45.	श्री शशिशेखर मिश्रा	सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
46.	श्री महेश शर्मा	नायब तहसीलदार	सश्रेय से उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र सरगुजा (अंबिकापुर)		
47.	श्री राधेश्याम तिर्की	राजस्व निरीक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
48.	श्री रामबिलास मानिकपुरी	राजस्व निरीक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
49.	श्रीमती मीना सिंह	राजस्व निरीक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 10 जून 2015

क्रमांक एफ 09-09/गृह-सी/परीक्षा/2015.—सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 13 एवं 14 जनवरी, 2015 को "प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया" प्रथम प्रश्न पत्र भाग बी एवं सी (बिना पुस्तकों के) द्वितीय प्रश्न पत्र (पुस्तकों सहित) तृतीय प्रश्न पत्र (आदेश का लिखा जाना) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है. निम्नांकित परीक्षार्थियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित प्रश्न पत्र में अपेक्षित स्तर अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त कर लेने के फलस्वरूप आगामी परीक्षा में बैठने से छूट प्रदान की जाती है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

स. क्र.	परीक्षार्थियों के नाम	पदनाम	सभी प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण होने का स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री देवेन्द्र पटेल	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	श्री गोकुल राम रावटे	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
3.	श्री अभिषेक कुमार गुप्ता	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
4.	श्री देवेन्द्र कुमार सिरमौर	नायब तहसीलदार	प्रथम में निम्नस्तर से उत्तीर्ण तृतीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
5.	श्री रामराज सिंह	नायब तहसीलदार	प्रथम में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
6.	श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
7.	श्री प्रकाश सिंह राजपूत	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
8.	श्रीमती नम्रता आनंद डोंगरे	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
9.	श्री उज्जवल पोरवाल	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
10.	श्री दिनेश कुमार नाग	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
11.	डॉ. सुभाष सिंह राज	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
12.	श्री शिवकुमार बनर्जी	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
13.	श्री सुनील कुमार चंद्रवंशी	डिप्टी कलेक्टर	तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
14.	सुश्री योगिता देवांगन	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
15.	श्री पवन कोसमे	नायब तहसीलदार	प्रथम में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
16.	श्री जितेन्द्र कुमार कुर्रे	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
17.	श्री प्रीतम सिंह चौहान	नायब तहसीलदार	द्वितीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण तृतीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
18.	श्री अरूण कुमार	नायब तहसीलदार	तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
19.	कु. निधि साहू	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
20.	श्री अरूण कुमार मरकाम	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
21.	श्री संदीप कुमार अग्रवाल	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
22.	श्री सुभाष कुमार शुक्ला	नायब तहसीलदार	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
23.	श्रीमती कमलेश नंदिनी साहू	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
24.	कु. अंकिता सोम	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
25.	श्री कीर्तिमान सिंह राठौर	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
26.	श्री सुनील कुमार सोनपिपरे	नायब तहसीलदार	प्रथम में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
27.	श्री मुकेश कुमार देवांगन	नायब तहसीलदार	प्रथम में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
28.	श्री आशुतोष चतुर्वेदी	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
29.	श्री सुनील अग्रवाल	नायब तहसीलदार	प्रथम में निम्नस्तर से उत्तीर्ण द्वितीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
30.	श्री प्रभाकर पाण्डेय	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
31.	कु. तुलसी राठौर	नायब तहसीलदार	प्रथम में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
32.	श्री अखिलेश साहू	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
33.	श्री निर्भय कुमार साहू	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
34.	श्री कमलेश कुमार मिरी	नायब तहसीलदार	प्रथम में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
35.	श्री मनीष कुमार वर्मा	नायब तहसीलदार	प्रथम में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
36.	कु. नमिता मारकोले	नायब तहसीलदार	प्रथम में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
37.	सुश्री प्रतिमा ठाकरे	नायब तहसीलदार	प्रथम में निम्नस्तर से उत्तीर्ण

(1)	(2)	(3)	(4)
		परीक्षा केन्द्र बिलासपुर	
38.	श्री गौतम सिंह	नायब तहसीलदार	प्रथम में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
39.	श्री टेकचंद अग्रवाल	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
40.	श्री दुष्यंत कीर्तिमान कोसले	सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
41.	श्री विनीत नंदनवार	सहायक कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण तृतीय में सश्रेय से उत्तीर्ण
42.	श्री शैलाभ कुमार साहू	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
43.	सुश्री नेहा कपूर	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
44.	श्री घनश्याम प्रसाद धीवर	राजस्व निरीक्षक	प्रथम में निम्नस्तर से उत्तीर्ण तृतीय में सश्रेय से उत्तीर्ण
		परीक्षा केन्द्र बस्तर (जगदलपुर)	
45.	श्री राजेश कुमार पात्रे	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
46.	श्री महेन्द्र सिंह साहू	राजस्व निरीक्षक	प्रथम में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
47.	श्री शशिशेखर मिश्रा	सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख	प्रथम में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
48.	श्री शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय	नायब तहसीलदार	प्रथम में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
49.	श्री महेश शर्मा	नायब तहसीलदार	प्रथम में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
		परीक्षा केन्द्र सरगुजा (अंबिकापुर)	
50.	श्री अजीत वसन्त	सहायक कलेक्टर	तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
51.	श्री राधेश्याम तिर्की	राजस्व निरीक्षक	द्वितीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण तृतीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
52.	श्रीमती मीना सिंह	राजस्व निरीक्षक	द्वितीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण तृतीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 10 जून 2015

क्रमांक एफ 09-10/गृह-सी/परीक्षा/2015.—उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 13 जनवरी, 2015 को प्रश्न पत्र "अधिनियम तथा नियम" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्नलिखित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

स. क्र. (1)	परीक्षार्थियों के नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री शांति कुमार सिदार	सहायक प्रबंधक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
		परीक्षा केन्द्र बस्तर (जगदलपुर)	
2.	श्री एन. कुमार देवांगन	सहायक प्रबंधक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 10 जून 2015

क्रमांक एफ 09-25/गृह-सी/परीक्षा/2015.—पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 14 जनवरी, 2015 को प्रश्न पत्र "स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम" (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

स. क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री अजित कुमार तिर्की	समाज शिक्षा संगठक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 10 जून 2015

क्रमांक एफ 09-28/गृह-सी/परीक्षा/2015.—सामान्य प्रशासन विभाग, सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, भू-अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 15 जनवरी, 2015 को प्रश्न पत्र "लेखा प्रथम" (बिना पुस्तकों के) एवं द्वितीय (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

स. क्र. (1)	परीक्षार्थियों का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री सुनील कुमार चंद्रवंशी	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में सश्रेय से उत्तीर्ण
2.	श्री कीर्तिमान सिंह राठौर	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में सश्रेय से उत्तीर्ण
3.	श्री जितेन्द्र कुमार कुर्रे	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
4.	श्री बजरंग कुमार दुबे	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
5.	श्री देवेन्द्र पटेल	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
6.	श्री अभिषेक कुमार गुप्ता	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
7.	श्री दशरथ सिंह राजपूत	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
8.	डॉ. सुभाष सिंह राज	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
9.	श्री दिनेश कुमार नाग	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
10.	श्री सुभाष कुमार शुक्ला	नायब तहसीलदार	प्रथम में निम्नस्तर से उत्तीर्ण द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
11.	श्री प्रभाकर पाण्डेय	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
12.	श्री आशुतोष चतुर्वेदी	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
13.	श्री गुड्डू लाल जगत	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
14.	श्री रामप्रसाद चौहान	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में सश्रेय से उत्तीर्ण
15.	श्री मनीष कुमार वर्मा	नायब तहसीलदार	प्रथम में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
16.	श्री मुकेश कुमार देवांगन	नायब तहसीलदार	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण

(1)	(2)	(3)	(4)
17.	कु. नमिता मारकोले	नायब तहसीलदार	प्रथम में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
18.	श्री सुनील अग्रवाल	नायब तहसीलदार	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण द्वितीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
19.	श्री अखिलेश साहू	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
20.	श्री देवेन्द्र कुमार सिरमौर	नायब तहसीलदार	प्रथम में निम्नस्तर से उत्तीर्ण द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
21.	श्री प्रीतम सिंह चौहान	नायब तहसीलदार	प्रथम में निम्नस्तर से उत्तीर्ण द्वितीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
22.	कु. पूनम तिवारी	नायब तहसीलदार	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
23.	श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
24.	कु. तुलसी राठौर	नायब तहसीलदार	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
25.	कु. दीप्ति गौते	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में सश्रेय से उत्तीर्ण
26.	कु. अंकिता सोम	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
27.	श्रीमती प्रेमलता मण्डावी	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
28.	कु. दिव्या अग्रवाल	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में सश्रेय से उत्तीर्ण
29.	श्रीमती कमलेश नंदिनी साहू	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में सश्रेय से उत्तीर्ण द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
30.	कु. निधि साहू	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में सश्रेय से उत्तीर्ण द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
31.	श्री उज्जवल पोरवाल	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
32.	श्री गोकुल राम रावटे	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
33.	श्री चित्रकांत चाली ठाकुर	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
34.	श्री शशांक पाण्डेय	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
35.	श्री अजय कुमार त्रिपाठी	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
36.	श्री रूपेश कुमार सिंह	नायब तहसीलदार	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

(1)	(2)	(3)	(4)
37.	श्री प्रदीप कुमार साहू	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
38.	श्री घनश्याम प्रसाद धीवर	राजस्व निरीक्षक	प्रथम में निम्नस्तर से उत्तीर्ण द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
39.	श्री इन्द्रजीत सिंह चंद्रवाल	सहायक कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
40.	श्री टेकचंद अग्रवाल	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण

परीक्षा केन्द्र बस्तर (जगदलपुर)

(1)	(2)	(3)	(4)
41.	श्री जगदीश सोनकर	सहायक कलेक्टर	प्रथम में सश्रेय से उत्तीर्ण
42.	श्री चंद्रकांत कौशिक	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
43.	श्री महेश शर्मा	नायब तहसीलदार	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
44.	श्री दिनेश सिंह ठाकुर	राजस्व निरीक्षक	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
45.	श्री शशिशेखर मिश्रा	सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण

(1)	(2)	(3)	(4)
	परीक्षा केन्द्र सरगुजा (अंबिकापुर)		
46.	श्री राधेश्याम तिर्की	राजस्व निरीक्षक	प्रथम में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
47.	श्री रामबिलास मानिकपुरी	राजस्व निरीक्षक	प्रथम में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
48.	श्रीमती मीना सिंह	राजस्व निरीक्षक	प्रथम में निम्नस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 10 जून 2015

क्रमांक एफ 09-52/गृह-सी/परीक्षा/2015.—सहायक कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अधीक्षक भू-अभिलेख, सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख, जिला कार्यालय के अधीक्षक, ग्रामीण विकास विभाग के विकासखंड अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक, क्षेत्र संयोजक, विकासखण्ड अधिकारी तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 16 जनवरी, 2015 को प्रश्न पत्र "पंचायत राज विधि तथा प्रक्रिया" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्नलिखित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

स. क्र. (1)	परीक्षार्थियों का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री गोकुल राम रावटे	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
2.	सुश्री नम्रता आनंद डोंगरे	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
3.	सुश्री प्रेमलता मण्डावी	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
4.	श्री देवेन्द्र कुमार सिरमौर	नायब तहसीलदार	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
5.	सुश्री अंकिता सोम	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
6.	सुश्री नम्रता गांधी	सहायक कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
7.	श्री जितेन्द्र कुमार कुर्रे	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
8.	श्री रामराज सिंह	नायब तहसीलदार	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
9.	डॉ. सुभाष सिंह राज	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
10.	श्री शशांक पाण्डेय	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
11.	श्री कमलेश कुमार मिरी	नायब तहसीलदार	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र सरगुजा (अंबिकापुर)		
12.	श्री टीकाराम देवांगन	नायब तहसीलदार	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
13.	श्री राधेश्याम तिर्की	राजस्व निरीक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 11 जून 2015

क्रमांक एफ 09-39/गृह-सी/परीक्षा/2015.—कृषि विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 16 जनवरी, 2015 को "लेखा" प्रथम प्रश्न पत्र (पुस्तकों सहित) एवं "लेखा" द्वितीय प्रश्न पत्र (बिना पुस्तकों के) के विषय

में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्नलिखित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

स. क्र. (1)	परीक्षार्थियों का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्रीमती सीमा करचाम	वरि. कृषि विकास अधिकारी	प्रथम एवं द्वितीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
2.	कु. स्मृति कोल्हे	सहायक संचालक, कृषि	प्रथम एवं द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
3.	कु. निलिमा रमन	वरि. कृषि विकास अधिकारी	प्रथम एवं द्वितीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र बिलासपुर		
4.	कु. अंजू रानी एक्का	वरि. कृषि विकास अधिकारी	प्रथम एवं द्वितीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
5.	श्री कृतराज कुर्रे	वरि. कृषि विकास अधिकारी	प्रथम एवं द्वितीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
6.	श्री संदीप सिन्हा	वरि. कृषि विकास अधिकारी	प्रथम एवं द्वितीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र बस्तर (जगदलपुर)		
7.	श्री आनंद राम नेताम	कृषि विकास अधिकारी	प्रथम एवं द्वितीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
8.	श्री कैलाश नाथ मरकाम	सहायक संचालक, कृषि	प्रथम एवं द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र सरगुजा (अंबिकापुर)		
9.	श्री जय इन्द्र कंवर	सहायक संचालक, कृषि	प्रथम एवं द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
10.	श्री रामचन्द्र भगत	वरि. कृषि विकास अधिकारी	प्रथम एवं द्वितीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
11.	श्री नारद कुमार भारद्वाज	सहायक संचालक, कृषि	प्रथम एवं द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 3 जुलाई 2015

संशोधित अधिसूचना

क्रमांक एफ 09-06/गृह-सी/परीक्षा/2015.—इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 10-06-2015 को जो दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया द्वितीय प्रश्न पत्र (दाण्डिक मामलों में आदेश/निर्णय लिखा जाना) सा.प्र.वि., भू-अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 12 जनवरी, 2015 को सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित परीक्षार्थी विभाग की अधिसूचना दिनांक 10-06-2015 के सरल क्रमांक 28 परीक्षा केन्द्र रायपुर से श्रीमती ओम विकास टंडन, नायब तहसीलदार को उत्तीर्ण घोषित किया गया है, जिनका नाम श्रीमती ओम विकास टंडन के स्थान पर त्रुटिवश श्री ओम विकास टंडन अंकित हो गया है, को निम्नानुसार पढ़ा जावे :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

स. क्र. (1)	नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्रीमती ओम विकास टंडन	नायब तहसीलदार	सश्रेय से उत्तीर्ण

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक जुनेजा, सचिव.

पर्यटन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 20 मई 2015

INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT CATERING TECHNOLOGY & APPLIED NUTRITION, RAIPUR (CHHATTISGARH) RECRUITMENT AND PROMOTION RULES 2006

क्रमांक 143/सचिव/पर्य.मं./2015.—In exercise of the overall powers vested in it under Memorandum of Association and Rules & Regulation, the Board of Governors of the Institute of Hotel Management, Catering Technology & Applied Nutrition, Naya Raipur Chhattisgarh (Society) hereby makes the following Rules in respect of various appointments in services of the Institute : —

1. **Short Title and Commencement :—**
   1.1 These Rules shall be called that Institute of Hotel Management, Catering Technology & Applied Nutrition (Recruitment and Promotion) Rules, 2006.

   1.2 These Rules shall come into force with effect from 06/06/2006 Date of Registration of the society. The Institute of Hotel Management catering Technology & Applied Nutrition (Raipur) Society.

2. **Interpretation :—** In these Rules the Various terms and expressions shall have the same meaning as assigned to them in the Memorandum of Association. Rules and Regulation and Byelaws of the institute and other Rules applicable to employees of the Institute from time to time.

3. **Scope :—** These Rules shall apply for recruitment and promotions to all whole time regular employees and to all persons appointed or promoted to any post in the Institute.

4. **Classification of Posts :—**

S.No.	Description of posts	Classification of Posts
1	Posts carrying the following grade pays Rs. 37400-67000 in PB Rs. 8700, Rs. 6600 in the scale of pay of Rs. 15600-39100	Group A
2	Post carrying the following pay grades :- 9300-34800 PB Rs 4400 , 4300, 4200	Group B
3	Post carrying the following pay grades :- 5200-20200 PB 2800, 2400, 1900	Group C
4	Post carrying the following pay grades :- 4750-7440 PB 1300	Group D

Note :— 'Pay' Shall have the same meaning as defined in the Fundamental Rules applicable to State Government Servants.

5. **Filling up of Vacancies :—**
   5.1 Vacancies shall be filled up by one or more of the following methods as prescribed in the Schedule for each category of posts :-
   (a) Direct Recruitment (See Part of II of these Rules)

   (b) Promotion by selection method (See Part III of these Rules)

   (c) Promotion on the basis of Non-selection method (See Part III of these Rules)

   (d) Deputation of a person from the Central Government, State Governments, Semi Government Organisations or public Sector and other Undertaking (See Part IV of these Rules)

5.2 Vacancies against posts normally required to be filled up by promotions may be filled by deputation on transfer and failing which by direct recruitment when no employee is eligible or available or found suitable or found suitable for promotion.

6. **Selection Committee :—**

6.1 In making appointments the appointing authority would be as prescribed in the schedule. It shall be assisted by a Staff Selection Committee as given below :-

(a) For the Posts of Principal, the selection committee will consist of : Group 'A'

i	Chairman BOGs	Chairman
ii	Secretary Finance of his/her nominee not below the rank of Addl. Secretary, Government of Chhattisgarh.	Member
iii	Additional Director General (Tourism) Govt. of India or his/her nominee/Regional Director Govt. of India.	Member
iv	Representative of Hotel Industry on the BOGs to be nominated by the Chairman BOG/NCHMCT.	Member
v	Subject Catering Expert on the BOGs/NCHMCT	Member
vi	One officer from the reserved category not below the rank of Addl. Secretary/Deputy/Under Secretary in Government of Chhattisgarh to be nominated by the Chairman/Secretary Tourism Govt. of Chhattisgarh.	Member
vii	Chief Executive Officer, National Council for Hotel Management Catering Technology, Noida (U.P.)	Member Secretary

(b) Promotion For the post of Head of Department : Group "A

i	Chairman BOGs	Chairman
ii	Additional Director General Member (Tourism), Government of India or his/her nominee (Member mandatory, without which the quorum shall not be complete)	Member
iii	Financial Adviser/Financial Controller, Ministry of Tourism, Government of India or his/her nominee.	Member
vi	National Council for Hotel Management & Catering Technology nominee on the BOGs.	Member
v	Catering Expert on the BOGs.	Member
vi	One officer from the reserved category not below the rank of Deputy Secretary in Government of India to be appointed by Chairman, BOGs.	Member
vii	Principal	Member Secretary

(c) For Group "B" Direct Recruitment and Promotion Committee will consist of (as per CG Government).

i	Chairman BOGs	Chairman
ii	Additional Director General (Tourism) Govt. of India or his/her nominee.	Member
iii	Catering Expert on the BOGs/HOD (T) any recognized University.	Member
iv	One officer from the reserved category not below the rank of Deputy/Under Secretary to the Government of Chhattisgarh to be nominated by the Secretary Tourism.	Member
v	Principal, IHM, Raipur/GM Tourism corporation/Board	Member Secretary

(d) For Group 'C' & 'D' the Direct Recruitment & Promotion Committee will consist of (as per CG Government):

i	Chairman BOGs	Chairman
ii	Principal/CGM/GM Tourism Corporation/Board.	Member
iii	Chief Executive Officer, National Council for Hotel Management & Catering Technology Noida or his/her nominee.	Member
iv	One Officer from nominated by the Chairman/Secretary Tourism Govt. of Chhattisgarh.	Member
v	Officer from the reserved category nominated by the chairman/CG Govt.	Member
vi	Administrative officer of the Institute	Member Secretary

6.2 The Chairman of a selection Committee may co-opt one/two subject specialists to assist the Committee.

6.3 The recommendations of the Selection/Promotion Committee shall be submitted to Chairman/ Secretary, Tourism Govt. of Chhattisgarh the Appointing Authority for approval and shall normally be valid for one year.

6.4 If any relative of the members of the Selection/Promotion Committee is the candidate for the post, Such member will withdraw from the Selection/Promotion Committee to maintain impartiality and clear transparency in the selection process.

7. **Special Representation :—** Vacancies in various categories of posts shall be subject to such reservation for representation of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, OBCs, Ex-Servicemen or any other categories of persons as may be specified by the State Government from time to time.

8. **Eligibility for Appoinment :—** A candidate for appointment in the Institute :

(a) Must be a citizen of India

OR

(b) Must belong to such categories of persons as may, from time to time, be notified in this behalf by the Government of Chhattisgarh.

9. **Physical Fitness :—** A Candidate selected for appointment in the Institute shall be required to produce a medical certificate of fitness before appointment from the medical authorities as prescribed by the State Government from time to time. This condition could be relaxed in those cases where the persons already employed in Central Government/State Government/Public Selector Undertakings including Universities who have already undergone such medical examination and apply for any post either on direct recruitment process through proper channel or apply and get selection on deputation basis on Foreign Service terms.

10. **Verification of Character and atecedents :—** Appointing Authority shall satisfy itself that the character and antecedents of the candidates selected for first appointment in the institute are such as do not render him unsuitable for appointment. The criteria, procedure and suitability for appointment would be the same as applicable for appointment to posts/services under the State Government.

11. **Restriction Regarding Marriage :—** The provision under Conduct Rule of Government of Chhattisgarh regarding restriction on Marriage as applicable to the employees of the State Government will be applicable to the employees. The procedures and decision as prescribed under this rule shall be followed. Declaration will be obtained from new entrants as per Rules.

12. **General Conditions for Appointment :—**

12.1 The Pay Scale, minimum qualification, experience, maximum age limit etc. attached to a post shall be as per Annexure I and as amended from time to time.

12.2 Period of Probation:

i) **For Direct recruits :** One year for the posts classified as group 'A' and 'B' and three years for all other posts.

ii) **For Promotees :** One year for promotees to higher group.

The Appointing Authority may extend the probation period for a maximum period of one year, in no case extended probation period shall be more than the double of the original probationary period. At any time during or at the end of the probationary period, the services of the employee may be terminated in case of a new entrant or the employee may be reverted to the post held before promotion without any notice and without assigning any reason.

PART – II : GENERAL PRINCIPLES GOERNING DIRECT RECRUITMENTS

13. **Direct Recruitment :—**

13.1 Vacancies in Group 'A' & Group 'B' shall be notified and advertised in leading newspapers or Employment News by the Institute. Whereas vacancies in Group 'C' and 'D' shall be notified to the employment exchange giving full details regarding qualification, age, experience etc, as prescribed for the post in the schedule as well as notified and advertised in leading newspapers.

13.2 Action to fill a post falling vacant on account of retirement shall be initiated atleast six months prior to its occurrence. This could be supplemented with other vacancies arising due to resignation/dismissal/incapacitation/death in the intervening period.

13.3 A candidate for direct recruitment to a post must fulfill the prescribed qualifications. Experience, age etc. The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates.

13.4 In case a vacancy is reserved for SC/ST and OBC/PH candidate, necessary steps to notify the vacancy to recognised SC/ST/OBC/PH organisations etc. should be taken.

13.5 Due relaxations will be available for SC/ST/OBC/PH candidates and such other categories of persons as may be notified from time to time by the State Government.

13.6 A Departmental Candidate shall also be eligible to apply for a direct recruitment post if he/she possesses the requisite qualifications etc. except that in such cases the upper age limit may be relaxed upto 3 years.

Departmental Candidate : is one who is regular employee of the Institute.

13.7 On receipt of applications, a list of eligible candidates shall be prepared by a Screening Committee as under :

The Screening Committee for the post of Principal Shall consist of :

i	Regional Director, Department of Tourism, Govt. of India/ Deputy Secretary Department of Tourism Govt. of Chhattisgarh	Chairman
ii	Director, National Council for Hotel Management & Catering Technology Noida (U.P.)	Member
iii	Catering Expert on the BOGs OR Nominated by the Chairman	Member
iv	Nominated by Chairman BOGs	Member Secretary

The Screening Committee for all post except the post of Principal shall consist of :

i	Regional Director, Department of Tourism, Govt. of India/ Deputy Secretary Department of Tourism Govt. of Chhattisgarh	Chairman
ii	Principal	Member
iii	Nominee of Chairman BOG	Member
iv	Administrative Officer of the Institute	Member Secretary

Short listed candidates shall be required to appear in the prescribed test(s) and/or interview. On an average for one post, three candidates may be selected and placed in a panel in order of merit. In case the first candidate does not join the post within the stipulated joining time, the offer of appointment shall be made to the second candidate and if the second candidate also does not join the, the offer of appointment shall be made to the third candidate. The panel of selected candidates shall be valid for one year, However, the selection committee has the discretion in this regard.

13.8 Candidates short listed for interview in case of Group 'A' and 'B' posts and 'C' of Assistant Lecturer-cum-Assistant Instructor and also the candidates belonging to the reserved categories and called for interview, may be granted travel expenses, to and fro for journey(s)by shortest rail route by 2nd class rail fare, on production of tickets. In the case of candidates for the post of Principal, travel expenses for to and fro journey(s) by shortest rail route by 3rd AC Class, rail fare, on production of tickets.

13.9 A candidate below the age of 18 years shall not be considered for appointment to any post in the Institute.

13.10 The duration of experience as prescribed in these Recruitment Rules for each post for direct recruitment, Should be reckoned as experience in the next below post.

14. GENERAL PRICIPLES GOVERNING PROMOTION

Promotion :—

14.1 No Employee shall be considered eligible for promotion to higher post unless he satisfies the requirements prescribed for promotion rules as specified for the respective post in the Schedule.

14.2 For the purpose of promotion, a post shall be either a selection post or a non-selection post as given in the Schedule.

14.3 a) **Selection Posts .**— Promotion to selection posts shall be on the basis of merit with due regard to seniority. The appropriate Departmental Promotion Committee shall judge the merit and suitability of eligible employees for promotion on the basis of record of service, including Annual Performance Appraisal Report (APAR) and recommend the order in which they may be promoted, The Departmental Promotion Committee has its discretion of evaluating the past APARs submitted.

b) **Non-Selection Post.**— Promotion to non-selection posts shall be on the basis of seniority subject to rejection of unfit candidates as determined from the record of service, by the appropriate Departmental Promotion Committee as referred to above.

PART- IV— GENERAL PRINCIPLES GOVERNING DEPUTATION/TRANSFER ON FOREIGN SERVICE TERMS :

15. **Deputation on Foreign Service Terms :—**

15.1 Employees of the Central Government/State Government/Public Sector and other Undertakings/ Autonomous Societies etc., applying through proper channel in relaxation of appointment on immediate absorption conditions for deputation on Foreign Service terms for any post in the institute may on their selection be appointed in the institute. While selecting the employees of the above mentioned organisations for a deputation post in IHM, selection committee, as may be constituted by the Board of Governors of the IHM, will ensure that the candidate fulfils the requisite qualifications and experience etc., for the deputation post as are prescribed in the Recruitment Rules.

15.2 The terms and conditions of appointment on deputation/foreign service in Hotel Management Institute shall be regulated in terms of Department of Personnel & Training's Office Memorandum dated 05.01.1994 as amended from time to time. The period of deputation/Foreign Service shall be subject to a maximum of three years in all cases except for those posts where a longer period of tenure is prescribed in the Recruitment Rules. The borrowing organisation may grant extension beyond this limit upto one year, after obtaining orders of Secretary (Tourism), Government of India, where such extension is considered necessary in public interest. The borrowing organisation may extend the period of deputation for the fifth year or for the second year in excess of the period prescribed in Recruitment rules in rare and exceptional circumstances in public interest subject to specific understanding that the officer would not be entitled to draw deputation duty allowance. This is subject to the prior approval of the lending organisation and wherever necessary the UPSC/ State PSC and ACC. In exceptional cases where the deputationist is not found fit to discharge his/her duties and responsibilities to the satisfaction of the competent authority, such deputationist could be reverted back to his parent office even before the expiry of the period of deputation.

15.3 All the terms and conditions relating to transfer on deputation should be settled well in advance between the lending department i.e. the parent office of the deputationist and the borrowing department i.e. the IHM concerned.

15.4 During deputation period, the deputationist may elect to draw either pay in the pay scale of deputation post to be fixed under the normal Fundamental Rule 22 and sub-clauses there under or may draw the basic pay plus personal pay, if any in his parent department from time to time plus deputation allowance @ 5% of his basic pay subject to maximum of Rs.500/- per month provided the deputation is within the same station. In other cases i.e. deputation at outstation, deputation allowance will be @ 10% on his basic pay subject to maximum of Rs.1,000/- per month. Basic pay plus deputation allowance drawn by the deputationist should not exceed the maximum of the pay scale or Rs.19,500/- per month.

15.5 The deputationist will have to exercise his option within one month of his joining the deputation post clearly indicating whether he elects to opt the pay scale of the borrowing department i.e. IHM or opts for drawing deputation allowance as admissible under the Rules. The option exercised once will be final. The option could be revised in the following circumstances:

a) when the deputationist is reverted to a lower grade in his parent cadre;

b) when the pay scale of parent post is revised either from retrospective effect or prospectively.

15.6 During deputation period the foreign employee has to pay Leave Salary Contribution in respect of all classes of employees @ 11% of pay drawn in Foreign Service. Besides Leave Salary Contribution, the foreign employee will also pay Pension Contributions at a percentage prescribed for different category/group of employees on the maximum pay of the post in the officiating/substantive grade held by the officer at the time of proceeding on Foreign Service. The Pension contributions will be based on the length of service, which would include all kinds of leave with or without pay, overstayal of leave, suspension and joining time etc. The Leave Salary Contribution (except for the period of leave availed on foreign service) and Pension Contribution/Contributory Provident Fund (employer's share) contribution are required to be paid either by the employee or by the borrowing organisation as per Central Government Rules and all appointments on deputation/foreign service basis in IHM will be as per terms and conditions as laid down in the Department of Personnel and Training's Office Memorandum dated 05.01.1994 as amended from time to time.

15.7 Borrowing department i.e. transferee IHM will have to pay to the lending department all the contributions towards Pension, Contributory Provident Fund and Leave Salary at the prescribed rate. These contributions shall not be payable during leave availed of by the deputationist while in Foreign Service.

In nutshell all the provisions laid down in Chapter XII of the Government of India's Fundamental Rules will be applicable to the IHM where the deputationist have been lent on foreign service terms from the lending Central Government/State Government Departments, Public Sector and other Undertakings, Autonomous Societies etc.

15.8 The above mentioned Rules shall also apply to the employees of the IHM lent on Foreign Service terms from one IHM to another or from the IHM to Central Government/State Government Departments/Public Sector and other Undertakings or any other Autonomous Societies.etc.

15.9 Leave Salary and/or pension contributions in respect of deputationist lent on foreign service in the IHM may be paid annually within fifteen days from the end of each financial year or at the end of the foreign service. In cases where the deputation on Foreign Service expires before the end of a financial year, the requisite contributions should be remitted within fifteen days from the expiry date of Foreign Service to the lending organisations.

15.10 Interest on overdue contributions i.e. unpaid contributions must be paid to the lending organisation in accordance with the provisions laid down in S.R.307 of Government of India. At present the rate of interest on unpaid contributions is two paisa per day per Rs.100/- from the date of expiry of the date on which contributions are finally paid.

Note:— Though Government of India's Rules provide that the employee could also pay leave salary and pension contributions himself at the prescribed rates on the net pay drawn i.e. the pay minus pension and leave salary contributions, yet it would depend on the option of the employee of the IHM.

The leave salary for the leave availed of by the deputationist while in Foreign Service in the IHM shall be payable by his parent office.

Leave salary contributions and pension contributions should be shown distinctly in the statement to be sent along with the Cheque/Demand Draft.

16. **Age of Superannuation :—** For All Post 62 Years . (As per Chhattisgarh Shashkiy Sevak (Adhivarshiki Aayu) (Sansodhan) Adhyadesh, 2013 (Kramank 2 san 2013), Chhattisgarh Shashan, Vitt Evam Yojna Vibhag, Mantralay, Mhanadi Bharwan, Nayay Raipur Ka Pratiptra Kramank 361/F-2013-17-00004/Vi/Ni/Char/2013 Dinak 26 August, 2013 And Chhattisagarh, Prayatan Vibhag Mantralaya ka Pariptra kramank 1458/33/Pray./ 2014 Naya Raypur Dinak 11/12/2014)

17. **Removal of Doubts :—** Where any doubt arises as to the interpretation of any of the provisions of these Rules or in respect of matters not provided for in these Rules, the matter shall be referred to the State Government, Chairman/Secretary Department of Tourism, Govt. of Chhattisgarh after the recommendation of BOG's.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पारसनाथ राम, उप-सचिव.

SHEDULE - I

S. No. (1)	Name of the Post (2)	Sention Post (3)	Pay Scale (4)
1	Principal	01	Rs. 37400-67000- PB 8700
2	Head of Department	01	Rs. 15600-39100- PB 6600
3	Lecturer/Reader	02	Rs. 9300-34800-PB 4400
4	Assistant Lecturer	04	Rs. 9300-34800-PB 4200
5	Superintendent	01	Rs. 9300-34800-PB 4300
6	Stenographer	01	Rs. 5200-20200-PB2800
7	Accountant	01	Rs. 5200-20200-PB2400
8	Assistant Librarian	02	Rs. 5200-20200-PB 2800
9	Assistant Grade 3 / Computer Operator	03	Rs. 5200-20200-PB 1900
10	Lab Attendant One post to be out sourced	05	Rs. 5200-20200-PB 1900
11	Driver	01	Rs. 5200-20200-PB 1900
12	Sweeper	01	Rs. 4750-7440-PB 1300
13	Peon One post to be out sourced	02	Rs. 4750-7440-PB 1300

(1)	(2)	(3)	(4)
14	Guard 02 Post to be out sourced	03	Rs. 4750-7440-PB 1300
15	Gardner	02	To Be out Sourced
16	Caretaker	01	To Be out Sourced
	Total Sanction post	**31**	

SHEDULE - II

S. No.	Name of the Post	Sention Post	Pay Scale	Percentage Direct Recruitment	Promotion	Appointing Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Principal	01	Rs. 37400-67000- PB 8700	100%	-	Chairman BOGs
2	Head of Department	01	Rs. 15600-39100- PB 6600	-	100%	Chairman BOGs
3	Lecturer/Reader	02	Rs. 9300-34800-PB 4400	100%	-	Chairman BOGs
4	Assistant Lecturer	04	Rs. 9300-34800-PB 4200	100%	-	Chairman BOGs
5	Superintendent	01	Rs. 9300-34800-PB 4300	100%	-	Chairman BOGs
6	Stenographer	01	Rs. 5200-20200-PB2800	100%	-	Chairman BOGs
7	Accountant	01	Rs. 5200-20200-PB2400	100%	-	Chairman BOGs
8	Assistant Librarian	02	Rs. 5200-20200-PB 2800	100%	-	Chairman BOGs
9	Assistant Grade 3/ Computer Operator	03	Rs. 5200-20200-PB 1900	100%	-	Chairman BOGs
10	Lab Attendant One post to be out sourced	05	Rs. 5200-20200-PB 1900	100%	-	Chairman BOGs
11	Driver	01	Rs. 5200-20200-PB 1900	100%	-	Chairman BOGs
12	Sweeper	01	Rs. 4750-7440-PB 1300	100%	-	Chairman BOGs
13	Peon One post to be out sourced	02	Rs. 4750-7440-PB 1300	100%	-	Chairman BOGs
14	Guard 02 Post to be out sourced	03	Rs. 4750-7440-PB 1300	100%	-	Chairman BOGs
15	Gardner	02	To Be out Sourced	100%	-	Chairman BOGs
16	Caretaker	01	To Be out Sourced	100%	-	Chairman BOGs
	Total Sanction post	**31**				

SHEDULE - III

By Direct Recruitment

S. No.	Name of the Post & Pay Scale	Sention Post	Domicile & Age	Educational Qualification	Selection committee
1	Principal Rs. 37400-67000- PB 8700	01	Indian / 52 Upper age limit is Relaxable upto 5 years in case of SC, ST and departmental candidates and as specified for other categories by Government of India from time to time, Under no circumstances the age should exceed 57 years.	**Appointing Authority - BOG.** Method of Recruitment ** Except as otherwise provided, when it is concluded by the GBOG of an Institute of Hotel Management that the Principal's performance/behavior/attitude has created an irresolvable situation threatening the normal functioning of the Institute and no serious charges could be brought against him, the BOG may transfer the Principal from one IHM to another provided the BOG of the IHM where the Principal is proposed to be transferred also agrees to the same. Such transfer will be permissible only after obtaining the prior approval of the Central Government. **<u>Education Qualification :</u>** (i) Graduation from a recognised university. (ii) Degree/3 year Diploma in Hotel Management from an Institute affiliated to National Council for Hotel Management/State Board of Technical Education/Recognized University. The Candidate must have secured not less than 50% marks in aggregate in Degree/Diploma in Hotel Management. **For graduates in Hotel Management, item No. (i) is not necessary.** (i) Preference will be given to Highly qualified Candidates **Experience :** Atleast 3 years experience in hotel related subject(s)* as Head of Department in an Institute of Hotel Management affiliated to National Council for Hotel Management & Catering Technology; **OR** Atleast 20 years of experience in teaching and/or hotel industry including minimum 3 years in hotel operation of Hotel Management affiliated to State Board of Technical Education/Recognized University; **OR**	i. Chairman BOGs - Chairman ii. Secretary Finance of his/her nominee not below the rank of Addl. Secretary, Government of Chhattisgarh - Member iii. Additional Director General (Tourism) Govt. of India or his/her nominee/Regional Director Govt. of India - Member iv. Representative of Hotel Industry on the BOGs to be nominated by the Chairman Bog/NCHMCT - Member v. Subject Catering Expert on the BOGs/NCHMCT - Member vi. One officer from the reserved category not below the rank of Addl. Secretary/Deputy/Under Secretary in Government of Chhattisgarh to be nominated by the Chairman/Secretary Tourism Govt. of Chhattisgarh - Member Chief Executive Officer, National Council for Hotel Management Catering Technology, Noida (U.P.) - Member Secretary Note : Except Founder Principal Appointed by State Govt. .

				Atleast 20 years of experience in teaching and/or hotel industry including 3 years as **Principal** in a Food Craft Institute affiliated to National Council for Hotel Management and Catering Technology; **OR** Minimum 20 years Hotel industry experience including minimum 5 years in Managerial capacity in 4 star/Heritage or above category approved hotel. *Hotel operations related subjects are : Food Production, Food and Beverage Service, Accommodation Operations/House Keeping and Front Office.	
2	Head of Department Rs. 15600-39100- PB 6600	01	Chhattisgarh 45 Upper age limit is relaxable upto 5 years in case of SC, ST and departmental candidates and as specified for other categories by Government of India from time to time.	Method of Recruitment - Promotion from amongst the Lecturer-cum-Instructors working in the Institute, falling Which by direct recruitment. Amended as per Govt. of India, Tourism Department Whether post is Selection/Non Selection : Promotion, Selection. **Education Qualifications :** (i) Graduation from a recognised university. (ii) Degree/3 Year diploma in Hotel Management from an institute of affiliated to Nationl Council for Hotel Management/State Board of Technical Education/ Recognized University. The candidate must have secured not less than 60% aggregate marks in degree/diploma in Hotel Management. Fro Graduates in Hotel Management, item No. (i) is not necessary. For Specific Subjects : Management Subjects : MBA/Post Graduate Diploma in Business Management with 60% aggregate marks. Computer Science : Graduate with 60% aggregate marks in Computer Science or MCA. Accounts & Law : M.Com with 60% aggregate marks. Languages : Graduate in concerned language from recognised University with 60% aggregate marks. Food Science and Nutrition : Post Graduate from recognised University with 60% aggregate marks. Experience Atleast 5 years of experience as Lecturer-cum- instructor in an Institute of Hotel Management affiliated to National Council for Hotel Management & Catering Technology; **Or**	i. Chairman BOGs - Chairman ii. Additional Director General (Tourism), Government of India or his/her nominee (Member mandatory, without which the quorum shall not be complete). - Member iii. Financial Adviser/Financial Controller, Ministry of Tourism, Government of India or his/her nominee - Member iv. National Council for Hotel Management & Catering Technology nominee on the BOGs - Member v. Catering Expert on the BOGs - Member vi. One officer from the reserved category not below the rank of Deputy Secretary in Government of India to be appointed by Chairman, BOGs - Member vii. Principal - Member Secretary

				Atleast 17 years of experience in teaching and/or hotel industry including 5 years teaching experience as Lecturer-cum- Instructor in an Institute of Hotel Management affiliated to a State Board of Technical Education/Recognized University; OR Atleast 17 years of experience in teaching and/or hotel industry including 5 years teaching experience as Lecturer-cum-Instructor in a Food Craft Institute Affiliated to National Council for Hotel Management and Catering Technology; OR Atleast 17 years Hotel industry experience including minimum 5 years in Managerial capacity in 4 star/Heritage or above catergory approved hotel. Eligibility for promotion Candidate for being considered for promotions as HOD should have passed 3 year Diploma/Degree in Hotel Management or should have passed a bridge course as prescribed by NCHMCT. Lecturers, who are otherwise eligible in terms of length of service for promotion as Head of Deptt. and possessing educational qualifications as prescribed for specific subjects as provided under Column 5 (ii) of these R&P Rules for the post of Head of Deptt. shall be considere for promotion only for the fourth post of Head of Deptt. , if any atleast 5 years of service in the grade of Lecturer-cumInstructor rendered after appointment thereto on a regula basis, failing wich from amongst Lecturers having atleast 10 years combined regular service in the grades of lecturer and Lecturer with atleast one year regular service in the grade of senor Scale , Failing which by direct recruitment. **Appointing Authority ; BOG**	
3	Lecturer/Reader Rs. 9300-34800- PB 4400	02	Chhattisgarh 35 Upper age limit is Relazable upto 5 years in case of SC, ST and departmental candidates and as specified for	**Educational Qualification for Direct Recruitment :** For Core hospitality Subjects : Degree/3 year Diploma in Hotel Management from an Institute affiliated to National Council for Hotel Management/State Board of Technical Education/Recognized University. The candidate must have secured at least 55% aggregate marks in degree/Diploma in Hotel Management. For Specific Subjects : **Management Subjects :** MBA/Post Graduate Diploma in Business Management with 50% aggregate marks. **Computer Science, Audio/Video Visual :** Graduate in Computer Electronic Telecommunication/MCA Preferred higher qualification	1. Chairman BOGs - Chairman 2. Additional Director General (Tourism) Govt. of India or his/her nominee - Member 3. Catering Expert on the BOGs/HOD (T) any recognized University- Member 4. One officer from the reserved category not below the rank of Deputy/Under Secretary to the Government of Chhattisgarh to be nominated by the Secretary Tourism. - Member

			other categories by Government of India from time to time.	Desirable Qualification : Teacher Training Diploma, Post diploma in specialized management. computer literacy or MBA **Accounts & Law :** M.Com/ICWA with 50% aggregate marks. Languages : Graduate in concerned language from recognised University. **Food Science and Nutrition :** Post Graduate with Food Science or Nutrition related subject from recognised University with 50% aggregate marks. Experience : Atleast 5 years of experience as Asstt. Lecturer-Cum-Asstt. Instructor in an Institute of Hotel Management affiliated to National Council for Hotel Management & Catering Technology; OR Atleast 7 years of experience in teaching and/or hotel industry including 5 years teaching experience as Asstt. Lecturer-cum-Asstt. Instructor in an Institute of Hotel Management affiliated to State Board of Technical Education/Recognized University; OR Atleast 7 years of experience in teaching and/or hotel industry including 5 years teaching experience as Asstt. Lectuter-cum-Asstt-Instructor in a Food Craft Institute affiliated to National Council for Hotel Management and Catering Technology; OR Atleast 7 years Hotel Industry experience including minimum 3 years in Supervisory capacity in 3 star/Heritage or above category approved hotel. Eligibility For Promotion : Candidate Should have at least 5 years of service in the grade of Asstt. Lecturer-cum-Asstt. Instructor. Promotion to selection posts shall be made on the basis of merit with due regard to seniority where 3 senior most eligible candidates would be considered, failing which the next three who fulfill the above promotion criteria would be considered till exhaustion of the empanelled list, The recourse to direct recruitment can be made. **Appointing Authority : BOG**	5- Principal, IHM,/GM Tourism corporation/Board- Member.
4	Assistant Lecturer Rs. 9300-34800- PB 4200	04	Chhattisgarh /35 Upper age Limit is	**Educational Qualification for Direct Recruitment :** 3 year Degree in Hotel Management from an Institute affiliated to National Council for Hotel Management/State Board of Technical Education/Recognized University with minimum of 60% aggregate	1- Chairman BOGs - Chairman 2- Additional Director General (Tourism) Govt. of India or his/her nominee - Member

			Relaxable upto 5 years in case of SC,ST and departmental candidates and as specified for other categories by Government of India from time to time.	marks in degree/diploma in Hotel Management **For specific subjects:** **Food Science and Nutrition:** Post Graduate with Food Science or Nutrition related subject from recognized University with 50% aggregate marks. **Languages:** Graduate in concerned language from recognized University. **Computer Science:** Graduate with Computer Science or Computer Application as main or subsidiary subject 50% aggregate marks or MCA. . **Management Subject:** MBA/Post Graduate Diploma in Business Management with 50% aggregate marks **Accounts & Law-** M.Cp,/ICWA with 50% aggregate marks. **Desirable Experience :** 1) A minimum of 3 years practical experience in Hotel and Catering industry OR 2) At least 2 years of teaching in an Institute affiliated to National Council for Hotel Management and Catering Technology/State Board of Technical Education/ Recognized University **Appointing Authority : BOG**	3- Catering Expert on the BOGs/HOD (T) any recognized University- Member . 4- One officer from the reserved category not below the rank of Deputy/Under Secretary to the Government of Chhattisgarh to be nominated by the Secretary Tourism. - Member 5- Principal, IHM,/GM Tourism corporation/Board- Member.
5	Superintendent Rs. 9300-34800- PB 4300	01	Chhattisgarh /35 Upper age limit relaxable upto 5 years for SC/ST, Departmental Candidates and as specified for other categories by Govt. of Chhattisgarh from time to time.	Method of recruitment : Direct recruitment. As per Shedule Graduate of recognized university with experience in commercial /Official /educational Institutions. Desirable : Knowledge of Computers , Computer certificate course from recognized university. Experience : Minimum 3 years experience in Asst Gr. -I/same filed of office & administrative matter/ accounts matter **Appointing Authority : BOG**	1. Chairman BOGs - Chairman 2. Additional Director General (Tourism) Govt. of India or his/her nominee - Member 3. Catering Expert on the BOGs/HOD (T) any recognized University- Member 4. One officer from the reserved category not below the rank of Deputy/Under Secretary to the Government of Chhattisgarh to be nominated by the Secretary Tourism. - Member 5- Principal, IHM,/GM Tourism corporation/Board- Member.

6	Stenographer Rs. 5200-20200-PB2800	01	Chhattisgarh /35 Upper age limit relaxable upto 5 years for SC/ST, Departmental Candidates and as specified for other categories by Govt. of Chhattisgarh from time to time.	Graduate from recognized university. Speed of 100 and 40 words in Shorthand and Typewritting certificate of Directorate of Public Institution, Raipur Chhattisgarh Respectively with three years experience in the line and knowledge of Computers. Desirable : Experience in Administrative and Accounts matters. **Experience :** Minimum 5 years experience in same field. **Appointing Authority : BOG**	1. Chairman BOGs- Chairman 2. Principal/CGM/GM Tourism Corporation/Board. - Member. 3. Chief Executive Officer, National Council for Hotel Management & Catering Technology Noida or his/her nominee- Member. 4. One Officer from nominated by the Chairman/Secretary Tourism Govt. of Chhattisgarh- Member. 5. Officer from the reserved category nominated by the chairman/CG Govt. - Member. 6. Administrative officer of the Institute- Member Secretary .
7	Accountant Rs. 5200-20200-PB2400	01	Chhattisgarh /35 Upper age limit relaxable upto 5 years for SC/ST, Departmental Candidates and as specified for other categories by Govt. of Chhattisgarh from time to time.	Method of recruitment : Direct recruitment. As per Shedule Graduate in Commerce with 5 years experience in commercial or educational institution or Government office or SAS Accountant with 2 years experience in establishment matters.. Desirable : Knowledge of Computers **Appointing Authority : BOG**	1. Chairman BOGs- Chairman 2. Principal/CGM/GM Tourism Corporation/Board. - Member. 3. Chief Executive Officer, National Council for Hotel Management & Catering Technology Noida or his/her nominee- Member. 4. One Officer from nominated by the Chairman/Secretary Tourism Govt. of Chhattisgarh- Member. 5. Officer from the reserved category nominated by the chairman/CG Govt. - Member. 6. Administrative officer of the Institute- Member Secretary .
8	Assistant Librarian	02	Chhattisgarh /35	Essential Qualification : 10+2 with Diploma in Library Science and knowledge of Computers.	1. Chairman BOGs- Chairman

	Rs. 5200-20200-PB 2800		Upper age limit relaxable upto 5 years for SC/ST, Departmental Candidates and as specified for other categories by Govt. of Chhattisgarh from time to time.	**Desirable :** One year experience in the time **Appointing Authority : BOG**	2. Principal/CGM/GM Tourism Corporation/Board. - Member. 3. Chief Executive Officer, National Council for Hotel Management & Catering Technology Noida or his/her nominee- Member. 4. One Officer from nominated by the Chairman/Secretary Tourism Govt. of Chhattisgarh- Member. 5. Officer from the reserved category nominated by the chairman/CG Govt. - Member. 6. Administrative officer of the Institute- Member Secretary .
9	Assistant Grade 3 / Computer Operator Rs. 5200-20200-PB 1900	03	Chhattisgarh /35 Upper age limit relaxable upto 5 years for SC/ST, Departmental Candidates and as specified for other categories by Govt. of Chhattisgarh from time to time.	Essential Qualification : 10+2 or Higher Secondary School, possessing typing speed of 40 W.P.M. with certificate of Directorate of Public Institution, Raipur Chhattisgarh 2. Diploma in Computer Application By Recognized University. 3. Telephone Operator : Knowledge of EPB Exchange. Desirable : Two Year experience in Computer Application. **Appointing Authority : BOG**	1. Chairman BOGs- Chairman 2. Principal/CGM/GM Tourism Corporation/Board. - Member. 3. Chief Executive Officer, National Council for Hotel Management & Catering Technology Noida or his/her nominee- Member. 4. One Officer from nominated by the Chairman/Secretary Tourism Govt. of Chhattisgarh- Member. 5. Officer from the reserved category nominated by the chairman/CG Govt. - Member. 6. Administrative officer of the Institute- Member Secretary .
10	Lab Attendant One post to be out sourced Rs. 5200-20200-PB 1900	05	Chhattisgarh /35 Upper age limit relaxable	10+2 with Certificate in Food and nutrition or certificate in cookery or Diploma in hotel management. **Appointing Authority : BOG**	1. Chairman BOGs- Chairman 2. Principal/CGM/GM Tourism Corporation/Board. - Member. 3. Chief Executive Officer, National

			upto 5 years for SC/ST, Departmental Candidates and as specified for other categories by Govt. of Chhattisgarh from time to time.		Council for Hotel Management & Catering Technology Noida or his/her nominee- Member. 4. One Officer from nominated by the Chairman/Secretary Tourism Govt. of Chhattisgarh- Member. 5. Officer from the reserved category nominated by the chairman/CG Govt. - Member. 6. Administrative officer of the Institute- Member Secretary .
11	Driver Rs. 5200-20200-PB 1900	01	Chhattisgarh /35 Upper age limit relaxable upto 5 years for SC/ST, Departmental Candidates and as specified for other categories by Govt. of Chhattisgarh from time to time.	Middle pass with valid driving license for cars/trucks and 3 years experience in driving and maintenance/repairing of similar vehicles. **Appointing Authority : BOG**	1. Chairman BOGs- Chairman 2. Principal/CGM/GM Tourism Corporation/Board. - Member. 3. Chief Executive Officer, National Council for Hotel Management & Catering Technology Noida or his/her nominee- Member. 4. One Officer from nominated by the Chairman/Secretary Tourism Govt. of Chhattisgarh- Member. 5. Officer from the reserved category nominated by the chairman/CG Govt. - Member. 6. Administrative officer of the Institute- Member Secretary .
12	Sweeper Rs. 4750-7440-PB 1300	01	Chhattisgarh /35 Upper age limit relaxable upto 5 years for SC/ST, Departmental Candidates	Primary School Education. Desirable : One Year experience. **Appointing Authority : BOG**	1. Chairman BOGs- Chairman 2. Principal/CGM/GM Tourism Corporation/Board. - Member. 3. Chief Executive Officer, National Council for Hotel Management & Catering Technology Noida or his/her nominee- Member. 4. One Officer from nominated by the

			and as specified for other categories by Govt. of Chhattisgarh from time to time.		Chairman/Secretary Tourism Govt. of Chhattisgarh- Member. 5. Officer from the reserved category nominated by the chairman/CG Govt. - Member. 6. Administrative officer of the Institute- Member Secretary .
13	Peon One post to be out sourced Rs. 4750-7440-PB 1300	02	Chhattisgarh /35 Upper age limit relaxable upto 5 years for SC/ST, Departmental Candidates and as specified for other categories by Govt. of Chhattisgarh from time to time.	Primary School Education. Desirable : One Year experience. **Appointing Authority : BOG**	1. Chairman BOGs- Chairman 2. Principal/CGM/GM Tourism Corporation/Board. - Member. 3. Chief Executive Officer, National Council for Hotel Management & Catering Technology Noida or his/her nominee- Member. 4. One Officer from nominated by the Chairman/Secretary Tourism Govt. of Chhattisgarh- Member. 5. Officer from the reserved category nominated by the chairman/CG Govt. - Member. 6. Administrative officer of the Institute- Member Secretary .
14	Guard 02 Post to be out sourced Rs. 4750-7440-PB 1300	03	Chhattisgarh /35 Upper age limit relaxable upto 5 years for SC/ST, Departmental Candidates and as specified for other categories by Govt. of	Primary School Education. Desirable : One Year experience. **Appointing Authority : BOG**	1. Chairman BOGs- Chairman 2. Principal/CGM/GM Tourism Corporation/Board. - Member. 3. Chief Executive Officer, National Council for Hotel Management & Catering Technology Noida or his/her nominee- Member. 4. One Officer from nominated by the Chairman/Secretary Tourism Govt. of Chhattisgarh- Member. 5. Officer from the reserved category nominated by the chairman/CG Govt. - Member.

			Chhattisgarh from time to time.		6. Administrative officer of the Institute- Member Secretary .
15	Gardner To Be out Sourced	02	Chhattisgarh /35	Primary School Education. Desirable : One Year experience.	1. Chairman BOGs- Chairman 2. Principal/CGM/GM Tourism Corporation/Board. - Member. 3. Chief Executive Officer, National Council for Hotel Management & Catering Technology Noida or his/her nominee- Member. 4. One Officer from nominated by the Chairman/Secretary Tourism Govt. of Chhattisgarh- Member. 5. Officer from the reserved category nominated by the chairman/CG Govt. - Member. 6. Administrative officer of the Institute- Member Secretary .
16	Caretaker To Be out Sourced	01	Chhattisgarh /35	Primary School Education. Desirable : One Year experience.	1. Chairman BOGs- Chairman 2. Principal/CGM/GM Tourism Corporation/Board. - Member. 3. Chief Executive Officer, National Council for Hotel Management & Catering Technology Noida or his/her nominee- Member. 4. One Officer from nominated by the Chairman/Secretary Tourism Govt. of Chhattisgarh- Member. 5. Officer from the reserved category nominated by the chairman/CG Govt. - Member. 6. Administrative officer of the Institute- Member Secretary .

SHEDULE - IV

By Promotion

S. No.	Feader Cader	Promotional Post & Pay Scale	Period for Eligibility	Selection committee
1	As per Govt. of India or Govt. of Chhattisgarh Norms/Instructions.	Head of Department Rs. 15600-39100- PB 6600	05 ears	i. Chairman BOGs - Chairman ii. Additional Director General (Tourism), Government of India or his/her nominee (Member mandatory, without which the quorum shall not be complete). - Member iii. Financial Adviser/Financial Controller, Ministry of Tourism, Government of India or his/her nominee - Member iv. National Council for Hotel Management & Catering Technology nominee on the BOGs - Member v. Catering Expert on the BOGs - Member vi. One officer from the reserved category not below the rank of Deputy Secretary in Government of India to be appointed by Chairman, BOGs - Member vii. Principal - Member Secretary
2	Lecturer/Reader Rs. 9300-34800-PB 4400	Next Scale As per Govt. of India or Govt. of Chhattisgarh Norms.	05 Years	1. Chairman BOGs - Chairman 2. Additional Director General (Tourism) Govt. of India or his/her nominee - Member 3. Catering Expert on the BOGs/HOD (T) any recognized University- Member 4. One officer from the reserved category not below the rank of Deputy/Under Secretary to the Government of Chhattisgarh to be nominated by the Secretary Tourism. - Member 5. Principal, IHM, /GM Tourism corporation/Board-Member Secretary . Note _ As per order of State Government Department of Tourism.
3	Assistant Lecturer Rs. 9300-34800-PB 4200	Next Scale As per Govt. of India or Govt. of Chhattisgarh Norms.	05 ears	1. Chairman BOGs - Chairman 2. Additional Director General (Tourism) Govt. of India or his/her nominee - Member 3. Catering Expert on the BOGs/HOD (T) any

				recognized University- Member 4. One officer from the reserved category not below the rank of Deputy/Under Secretary to the Government of Chhattisgarh to be nominated by the Secretary Tourism. - Member 5. Principal, IHM, /GM Tourism corporation/Board- Member Secretary . Note _ As per order of State Government Department of Tourism.
4	Superintendent Rs. 9300-34800- PB 4300	Next Scale As per Govt. of India or Govt. of Chhattisgarh Norms.	05 years	1. Chairman BOGs - Chairman 2. Additional Director General (Tourism) Govt. of India or his/her nominee - Member 3. Catering Expert on the BOGs/HOD (T) any recognized University- Member 4. One officer from the reserved category not below the rank of Deputy/Under Secretary to the Government of Chhattisgarh to be nominated by the Secretary Tourism. - Member 5. Principal, IHM, /GM Tourism corporation/Board- Member Secretary . Note _ As per order of State Government Deartment of Tourism.
5	Stenographer Rs. 5200-20200- PB2800	Next Scale As per Govt. of India or Govt. of Chhattisgarh Norms.	05 Years	1. Chairman BOGs- Chairman 2. Principal/CGM/GM Tourism Corporation/Board. - Member. 3. Chief Executive Officer, National Council for Hotel Management & Catering Technology Noida or his/her nominee- Member. 4. One Officer from nominated by the Chairman/Secretary Tourism Govt. of Chhattisgarh- Member. 5. Officer from the reserved category nominated by the chairman/CG Govt. - Member. 6. Administrative officer of the Institute- Member Secretary . Note _ As per order of State Government Department of Tourism.

6	Accountant Rs. 5200-20200-PB2400	Next Scale As per Govt. of India or Govt. of Chhattisgarh Norms.	05 Years	1. Chairman BOGs- Chairman 2. Principal/CGM/GM Tourism Corporation/Board. - Member. 3. Chief Executive Officer, National Council for Hotel Management & Catering Technology Noida or his/her nominee- Member. 4. One Officer from nominated by the Chairman/Secretary Tourism Govt. of Chhattisgarh- Member. 5. Officer from the reserved category nominated by the chairman/CG Govt. - Member. 6. Administrative officer of the Institute- Member Secretary . Note _ As per order of State Government Department of Tourism.
7	Assistant Librarian Rs. 5200-20200-PB 2800	Next Scale As per Govt. of India or Govt. of Chhattisgarh Norms.	05 Years	1. Chairman BOGs- Chairman 2. Principal/CGM/GM Tourism Corporation/Board. - Member. 3. Chief Executive Officer, National Council for Hotel Management & Catering Technology Noida or his/her nominee- Member. 4. One Officer from nominated by the Chairman/Secretary Tourism Govt. of Chhattisgarh- Member. 5. Officer from the reserved category nominated by the chairman/CG Govt. - Member. 6. Administrative officer of the Institute- Member Secretary . Note _ As per order of State Government Department of Tourism.
8	Assistant Grade 3 / Computer Operator Rs. 5200-20200-PB 1900	Next Scale As per Govt. of India or Govt. of Chhattisgarh Norms.	05 Years	1. Chairman BOGs- Chairman 2. Principal/CGM/GM Tourism Corporation/Board. - Member. 3. Chief Executive Officer, National Council for Hotel Management & Catering Technology Noida or his/her nominee- Member. 4. One Officer from nominated by the Chairman/Secretary Tourism Govt. of Chhattisgarh- Member.

				5. Officer from the reserved category nominated by the chairman/CG Govt. - Member. 6. Administrative officer of the Institute- Member Secretary . **Note-** As per order of State Government Department of Tourism.
9	Lab Attendant One post to be out sourced Rs. 5200-20200-PB 1900	Next Scale As per Govt. of India or Govt. of Chhattisgarh Norms.	05 Years	1. Chairman BOGs- Chairman 2. Principal/CGM/GM Tourism Corporation/Board. -Member. 3. Chief Executive Officer, National Council for Hotel Management & Catering Technology Noida or his/her nominee- Member. 4. One Officer from nominated by the Chairman/Secretary Tourism Govt. of Chhattisgarh-Member. 5. Officer from the reserved category nominated by the chairman/CG Govt. - Member. 6. Administrative officer of the Institute- Member Secretary . Note _ As per order of State Government Deartment of Tourism.
10	Driver Rs. 5200-20200-PB 1900	Next Scale As per Govt. of India or Govt. of Chhattisgarh Norms.	05 Years	1. Chairman BOGs- Chairman 2. Principal/CGM/GM Tourism Corporation/Board. -Member. 3. Chief Executive Officer, National Council for Hotel Management & Catering Technology Noida or his/her nominee- Member. 4. One Officer from nominated by the Chairman/Secretary Tourism Govt. of Chhattisgarh-Member. 5. Officer from the reserved category nominated by the chairman/CG Govt. - Member. 6. Administrative officer of the Institute- Member Secretary . Note _ As per order of State Government Department of Tourism.

11	Peon One post to be out sourced Rs. 4750-7440-PB 1300	Next Scale As per Govt. of India or Govt. of Chhattisgarh Norms.	05 Years	1. Chairman BOGs- Chairman 2. Principal/CGM/GM Tourism Corporation/Board. - Member. 3. Chief Executive Officer, National Council for Hotel Management & Catering Technology Noida or his/her nominee- Member. 4. One Officer from nominated by the Chairman/Secretary Tourism Govt. of Chhattisgarh- Member. 5. Officer from the reserved category nominated by the chairman/CG Govt. - Member. 6. Administrative officer of the Institute- Member Secretary . Note _ As per order of State Government Department of Tourism.
12	Guard 02 Post to be out sourced Rs. 4750-7440-PB 1300	Next Scale As per Govt. of India or Govt. of Chhattisgarh Norms.	05 Years	1. Chairman BOGs- Chairman 2. Principal/CGM/GM Tourism Corporation/Board. - Member. 3. Chief Executive Officer, National Council for Hotel Management & Catering Technology Noida or his/her nominee- Member. 4. One Officer from nominated by the Chairman/Secretary Tourism Govt. of Chhattisgarh- Member. 5. Officer from the reserved category nominated by the chairman/CG Govt. - Member. 6. Administrative officer of the Institute- Member Secretary . Note _ As per order of State Government Department of Tourism.

Note : -

1. Appointing Authority is Chairman BOGs.
2. Approved by BOGs Meeting Dated 07.01.2015

नया रायपुर, दिनांक 1 जुलाई 2015

क्रमांक एफ 1-5/33/2007/पर्य.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री संतोष बाफना, विधायक जगदलपुर को छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष पद पर आगामी आदेश तक नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एन. अवस्थी, अवर सचिव.

वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 30 जून 2015

क्रमांक एफ 06-02/2014/10-2.— छत्तीसगढ़ अभिवहन (वनोपज) नियम, 2001 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 7-61/व.सं./2001, दिनांक 14 जून, 2002 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे तालिका के कॉलम क्रमांक (2) में उल्लिखित तत्संबंधी वनोपज के परिवहन हेतु अभिवहन अनुज्ञापत्र जारी करने हेतु, क्रमश: उक्त तालिका के कॉलम (3), (4), (5) एवं (6) में उल्लिखित अनुसार वसूल किया जाने वाला शुल्क, निम्नानुसार नियत करती है—

तालिका

स. क्र.	वनोपज का नाम	विहित शुल्क			
		रु.	रु./ट्रक	रु./ट्राली	रु./बैलगाड़ी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	लाईमस्टोन, डोलोमाईट, फायरक्ले, मैंगनीज, कॉपर, रॉक-फॉस्फेट, पायरो-फिलाईट, डायास्पोर, ओकर, बाक्साईट, केलसाईट, कोयला, क्वार्टज, सिलिका सेंड, स्लेट, सोप-स्टोन, आयरन-ओर, सोना, कोरंडम एवं टीन अयस्क.	रु. 15/- प्रतिटन	-	-	-
2.	फ्लेग स्टोन, ग्रेनाईट, मार्बल, गिट्टी, पत्थर, रेत एवं मुरुम.	रु. 10/- प्रति घ.मी.	-	-	-
3.	इमारती लकड़ी, जलाऊ लकड़ी एवं बांस	-	रु. 230/- प्रति ट्रक या उसके भाग के लिये	रु. 115/- प्रति ट्राली या उसके भाग के लिये	रु. 15/- प्रति बैलगाड़ी या उसके भाग के लिये
4.	लघु वनोपज (विनिर्दिष्ट लघु वनोपज को छोड़कर)	-	रु. 55/- प्रति ट्रक या उसके भाग के लिये	रु. 25/- प्रति ट्रेक्टर या उसके भाग के लिये	-

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार साहू, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 30 जून 2015

क्रमांक एफ 06-02/2014/10-2.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 06-02/2014/10-2 दिनांक 30-06-2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार साहू, सचिव.

Raipur, the 30th June 2015

No. 06-02/2014/10-2.—In exercise of the powers conferred by Rule 5 of the Chhattisgarh Transit (Forest Produce) Rules, 2001 and in supersession of this department's Notification No. F 7-61/F. C./2001, dated 14th June 2002, the State Government, hereby, fixes the fee as mentioned in column (3), (4), (5) and (6) of Table below respectively to be recovered for issue of transit pass for the transportation of corresponding forest produce as mentioned in column number (2) of the said Table, as under,—

TABLE

S. No.	Name of Forest Produce	Prescribed Fee			
		Rs.	Rs./Truck	Rs./Trolly	Rs./ Bullockcart
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Lime stone, Dolomite, Fire clay, Manganese, Copper, Rock-phosphate, Pyro-phyllite, Diaspore, Ochre, Bauxite, Calcite, Coal, Quartz, Silica Sand, Slate, Soap-stone, Iron-ore, Gold, Corundum and Tin ore.	Rs. 15/- Per ton	-	-	-
2.	Flag stone, Granite, Marble, Concrete, Stone, Sand & Murrum.	Rs. 10/- Per CMT	-	-	-
3.	Timber, Fuel & Bamboo.	-	Rs. 230/- Per Truck or its part	Rs. 115/- Per Trolly or its part	Rs. 15/- Per Bullock cart or its part
4.	Minor Forest Produce (except specified Minor Forest produce)	-	Rs. 55/- Per Truck or its part	Rs. 25/- Per Tractor or its part	-

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ANIL KUMAR SAHU, Secretary.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

महासमुन्द, दिनांक 9 जून 2015

क्रमांक 06/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	महासमुन्द	बड़गांव प.ह.नं. 32	15.86	कार्यपालन अभियंता, महानदी जलाशय परियोजना द्वितीय चरण कार्य संभाग, रायपुर.	समोदा बैराज के डुबान हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 9 जून 2015

क्रमांक 08/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	महासमुन्द	अछोला प.ह.नं. 05	66.99	कार्यपालन अभियंता, महानदी जलाशय परियोजना द्वितीय चरण कार्य संभाग, रायपुर.	समोदा बैराज के डुबान हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 9 जून 2015

क्रमांक 09/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	महासमुन्द	अछोली प.ह.नं. 31	8.71	कार्यपालन अभियंता, महानदी जलाशय परियोजना द्वितीय चरण कार्य संभाग, रायपुर.	समोदा बैराज के डुबान हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बैकुण्ठपुर, दिनांक 10 जून 2015

क्रमांक/894/वाचक/भू-अर्जन/2015.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया (छ.ग.)	खडगवां	दुबछोला प.ह.नं. 7	15.398	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बैकुण्ठपुर (छ.ग.).	विकासखण्ड खडगवां के चिरमिरी जलाशय ग्राम दुबछोला योजना के निर्माण में सिंचाई सुविधा देने हेतु बांध एवं नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), खडगवां, मुख्यालय चिरमिरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बैकुण्ठपुर, दिनांक 10 जून 2015

क्रमांक/896/वाचक/भू-अर्जन/2015.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया (छ.ग.)	खडगवां	जिलीबांध प.ह.नं. 19	24.24	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बैकुण्ठपुर (छ.ग.).	विकासखण्ड खडगवां के अंजनी जलाशय ग्राम जिलीबांध योजना के निर्माण में सिंचाई सुविधा देने हेतु बांध एवं नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), खडगवां, मुख्यालय चिरमिरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बैकुण्ठपुर, दिनांक 10 जून 2015

क्रमांक/898/वाचक/भू-अर्जन/2015.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया (छ.ग.)	खडगवां	कदमबहरा प.ह.नं. 16	47.27	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बैकुण्ठपुर (छ.ग.).	विकासखण्ड खडगवां के अंजनी जलाशय ग्राम कदमबहरा योजना के निर्माण में सिंचाई सुविधा देने हेतु बांध निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), खडगवां, मुख्यालय चिरमिरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बैकुण्ठपुर, दिनांक 10 जून 2015

क्रमांक/900/वाचक/भू-अर्जन/2015.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया (छ.ग.)	खडगवां	तामडांड प.ह.नं. 16	14.37	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बैकुण्ठपुर (छ.ग.).	विकासखण्ड खडगवां के अंजनी जलाशय ग्राम तामडांड योजना के निर्माण में सिंचाई सुविधा देने हेतु बांध निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), खडगवां, मुख्यालय चिरमिरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बैकुण्ठपुर, दिनांक 10 जून 2015

क्रमांक/902/वाचक/भू-अर्जन/2015.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया (छ.ग.)	खडगवां	कन्हारबहरा प.ह.नं. 16	10.31	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बैकुण्ठपुर (छ.ग.).	विकासखण्ड खडगवां के अंजनी जलाशय ग्राम कन्हारबहरा योजना के निर्माण में सिंचाई सुविधा देने हेतु बांध निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), खडगवां, मुख्यालय चिरमिरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बैकुण्ठपुर, दिनांक 10 जून 2015

क्रमांक/904/वाचक/भू-अर्जन/2015.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया (छ.ग.)	खडगवां	रतनपुर प.ह.नं. 9	6.83	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बैकुण्ठपुर (छ.ग.).	विकासखण्ड खडगवां के अंजनी जलाशय ग्राम रतनपुर योजना के निर्माण में सिंचाई सुविधा देने हेतु बांध निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), खडगवां, मुख्यालय चिरमिरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बैकुण्ठपुर, दिनांक 10 जून 2015

क्रमांक/906/वाचक/भू-अर्जन/2015.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया (छ.ग.)	खडगवां	मुगुम प.ह.नं. 17	0.35	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बैकुण्ठपुर (छ.ग.).	विकासखण्ड खडगवां के सत्तीडबरा जलाशय ग्राम मुगुम योजना के निर्माण में सिंचाई सुविधा देने हेतु बांध एवं नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), खडगवां, मुख्यालय चिरमिरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बैकुण्ठपुर, दिनांक 10 जून 2015

क्रमांक/908/वाचक/भू-अर्जन/2015.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया (छ.ग.)	खडगवां	बारी प.ह.नं. 17	3.42	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बैकुण्ठपुर (छ.ग.).	विकासखण्ड खडगवां के सत्तीडबरा जलाशय ग्राम बारी योजना के निर्माण में सिंचाई सुविधा देने हेतु बांध निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), खडगवां, मुख्यालय चिरमिरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बैकुण्ठपुर, दिनांक 10 जून 2015

क्रमांक/910/वाचक/भू-अर्जन/2015.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया (छ.ग.)	खडगवां	दुबछोला प.ह.नं. 16	21.62	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बैकुण्ठपुर (छ.ग.).	विकासखण्ड खडगवां के साजाखांड जलाशय ग्राम दुबछोला योजना के निर्माण में सिंचाई सुविधा देने हेतु बांध निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), खडगवां, मुख्यालय चिरमिरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बैकुण्ठपुर, दिनांक 10 जून 2015

क्रमांक/912/वाचक/भू-अर्जन/2015.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया (छ.ग.)	खडगवां	भुकभुकी प.ह.नं. 17	15.542	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बैकुण्ठपुर (छ.ग.).	विकासखण्ड खडगवां के साजाखांड जलाशय ग्राम भुकभुकी योजना के निर्माण में सिंचाई सुविधा देने हेतु बांध एवं नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), खडगवां, मुख्यालय चिरमिरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बैकुण्ठपुर, दिनांक 10 जून 2015

क्रमांक/914/वाचक/भू-अर्जन/2015.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया (छ.ग.)	खडगवां	गणेशपुर प.ह.नं. 12	4.23	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बैकुण्ठपुर (छ.ग.).	विकासखण्ड खडगवां के खैराखांडी जलाशय ग्राम गणेशपुर योजना के निर्माण में सिंचाई सुविधा देने हेतु बांध एवं नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), खडगवां, मुख्यालय चिरमिरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजीव कुमार झा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 18 जून 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 26/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	कलमी प.ह.नं. 08	2.608	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना के अंतर्गत मुख्य नहर हेतु पूरक भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 23 जून 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 27/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	मचिदा प.ह.नं. 33	0.124	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना के अंतर्गत तेलीपाली वितरक नहर हेतु पूरक भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 23 जून 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 28/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	पड़िगांव प.ह.नं. 37	0.704	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना के अंतर्गत तेलीपाली वितरक नहर हेतु पूरक भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 23 जून 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 29/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	तड़ोला प.ह.नं. 14	0.215	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना के अंतर्गत तेलीपाली वितरक नहर हेतु पूरक भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 23 जून 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 30/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	तुरंगा प.ह.नं. 42	0.720	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना के अंतर्गत तेलीपाली वितरक नहर हेतु पूरक भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 23 जून 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 31/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	पुसौर प.ह.नं. 28	0.866	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना के अंतर्गत तेलीपाली वितरक नहर हेतु पूरक भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 23 जून 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 32/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	त्रिभौना प.ह.नं. 42	1.269	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना के अंतर्गत तेलीपाली वितरक नहर हेतु पूरक भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 23 जून 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 33/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	ओड़केरा प.ह.नं. 33	1.010	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना के अंतर्गत तेलीपाली वितरक नहर हेतु पूरक भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीलेश कुमार क्षीरसागर, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, कोरबा (छत्तीसगढ़)

कोरबा, दिनांक 14 मई 2015

क्रमांक 574/व.भू.उप./नग्रानि/2015.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 (1) के अनुसरण में दीपिका निवेश क्षेत्र में सम्मिलित 21 ग्रामों के लिए वर्तमान भूमि उपयोग संबंध मानचित्र एवं रजिस्टर का प्रकाशन सूचना क्रमांक 231 कोरबा, दिनांक 23-03-2015 द्वारा किया गया था.

अत: एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट दीपिका निवेश क्षेत्र में सम्मिलित 21 ग्रामों के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को तद्नुसार सम्यक रूप से अंगीकृत किया जाता है एवं इस सूचना की प्रति अधिनियम की धारा 15 (4) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है, जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर सम्यक रूप से तैयार कर अंगीकृत कर लिया गया है.

अनुसूची

दीपिका निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम तिवरता, बतारी, देवगांव, चाकामुंडा, बुदेली, देवरी एवं कोरई ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व में : ग्राम कोरई, दुरेना, जुनाडीह, बिझरा, बरेली, मलगांव ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में : ग्राम मलगांव, सुआभोड़ी एवं चेनपुर ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम में : ग्राम चेनपुर, नवापारा, सिरकी एवं तिवरता ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत मानचित्र एवं रजिस्टर छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के लिए निम्नलिखित स्थान पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन समय में अवकाश के दिनों को छोड़कर अवलोकन के लिए उपलब्ध रहेगा.

निरीक्षण स्थल : कार्यालय, उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, नया परिवहन कार्यालय के पास, रामपुर, कोरबा (छत्तीसगढ़)

No. 574/ELU/TCP/2015.— The existing land use map for the Deepika Planning Area of 21 villages have been included for which the existing land use maps and register was published under Sub section (1) of Section 15 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973) vide notice No. 231, 23 March 2015 of Korba.

Therefore, a notice is hereby given for general information of the public that the existing land use maps and register of Deepika Planning Area of 21 villages have been included for which the existing land use maps and register so prepared and published are duly adopeted by the Director, Town & Country Planning under the provision of sub-section 3 of section 15 of the said adhiniyam and a copy of the notice is also sent of its publication in Chhattisgarh Gazette, under the provision of sub-section (4) of section 15 of the said adhiniyam, which shall be conclusive evidence of the fact that the above maps and register have been duly prepared and adopted on dt.

SCHEDULE

Deepika Planning Area Limits

NORTH : Village Tivarta, Batari, Devgao, Chakamuda, Budeli, Deveri and Korai and upto the North limit.

EAST : Village Korai, Dhurena, Junadih, Bareli, Malgao and upto the East limit.

SOUTH : Village Malgao, Suabhodi and Chenpur and upto the South limit.

WEST : Village Chenpur, Navapara, Sirki and Tivarta and upto the West limit.

The said adopted maps and register shall be available for inspections of General Public at following place during office hours for a period of 15 days from the publication of the notice in Chhattisgarh Gazette.

Inspection Site : Office of the Deputy Director, Town & Country Planning, Near New RTO office, Rampur, Korba (CG)

एम. के. गुप्ता,
संयुक्त संचालक.

कार्यालय, सक्षम अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), रायगढ़, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

रायगढ़, दिनांक 15 जून 2015

प्रारूप-घ
(नियम 6 देखिये)

क्रमांक 61/बी-121/2013-14.— राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है.) की धारा 3 का उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़ को अधिसूचना क्रमांक 61/बी-121/2013-14 दिनांक 26 जून 2014 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न सूची में विनिर्दिष्ट भूमि में एन.टी.पी.सी. लारा परियोजना के लिए जल परिवहन द्वारा साराडीह बैराज से भूमिगत पाईपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 22 अगस्त 2014 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अभिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है और उक्त भूमिगत पाईपलाइन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईपलाइन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईपलाइन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग का अधिकार सभी बिल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नं.	कुल रकबा (हे. में)	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	गुड़ू/35	47/4	0.494	0.202
			61/1	0.413	0.209
			61/2	0.045	0.021
			62/2	0.049	0.030
			63	0.129	0.040
			65	0.040	0.016
			66	0.166	0.069

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	गुड़ु/35	82/2	0.129	0.060
			67	0.109	0.045
			68	0.223	0.080
			69	0.210	0.020
			75	0.202	0.080
			73/1	0.178	0.050
			70/1	0.040	0.010
			78/1	0.154	0.061
			78/2	0.024	0.008
			80	0.219	0.040
			76/1	0.041	0.041
			76/2	0.040	0.030
			76/3	0.049	0.049
			76/5	0.057	0.012
			77	0.093	0.036
			74	0.109	0.045
			100	0.065	0.028
			137	0.829	0.645
			136	0.202	0.010
			135/1	1.076	0.360
			141/1	0.045	0.025
			141/2	0.045	0.020
			151/1	0.089	0.089
			151/3	0.259	0.202
			159	0.170	0.050
			165/1	0.016	0.016
			167/6	0.162	0.024
			164	0.194	0.077
			166	0.526	0.080
			174	0.121	0.040
			175/1क	0.073	0.010
			175/4	0.142	0.010
			216	0.210	0.085
			231/14ग, 231/18	0.324	0.174
			231/15	0.664	0.174
			231/22	0.308	0.106
			231/23	0.149	0.106
			217/2	0.202	0.134
			219	0.061	0.010
			220/2	0.235	0.200
			220/4	0.219	0.205
			222	0.202	0.057
			206/2	0.202	0.202

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	गुड्डू/35	345/3	0.421	0.121
			344/1	0.198	0.198
			344/2	0.255	0.130
			344/3	0.198	0.061
			344/5	0.073	0.020
			344/6	0.255	0.008
			298	0.340	0.283
			299/1	0.202	0.045
			299/2	0.077	0.045
			299/3	0.101	0.045
			300/2	0.194	0.194
			300/3	0.295	0.160
			302/1	0.518	0.030
			302/3	0.134	0.030
			302/4	0.186	0.121
			340/1	0.295	0.150
			340/3	0.146	0.146
			333/1	0.174	0.160
			333/2	0.227	0.160
			331	0.259	0.020
			332	1.044	0.405
			336/1	1.153	0.060
			324/2	0.223	0.143
			324/5क	0.071	0.071
			323/1, 322/10	0.228	0.140
			323/2	0.301	0.143
			215	0.105	0.010
			218	0.061	0.030
			221/1	0.150	0.101
			221/2	0.105	0.105
			221/3	0.089	0.089
		योग	**82**	**18.081**	**7.817**

रायगढ़, दिनांक 15 जून 2015

प्रारूप-घ

(नियम 6 देखिये)

क्रमांक 63/बी-121/2013-14.— राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है.) की धारा 3 का उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़ को अधिसूचना क्रमांक 63/बी-121/2013-14 दिनांक 26 जून 2014 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न सूची में विनिर्दिष्ट भूमि में एन.टी.पी.सी. लारा परियोजना के लिए जल परिवहन द्वारा साराडीह बैराज से भूमिगत पाईपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 22 अगस्त 2014 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अभिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है और उक्त भूमिगत पाईपलाइन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईपलाइन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईपलाइन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग का अधिकार सभी बिल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नं.	कुल रकबा (हे. में)	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	सराईपाली/35	73	0.223	0.040
			75	0.291	0.226
			76	0.154	0.154
			83	0.138	0.138
			84	0.129	0.050
			85	0.202	0.202
			86	0.388	0.121
			87	0.607	0.105
			100	0.401	0.101
			101/1	0.134	0.134
			101/2	0.028	0.028
			102/1	0.097	0.040
			55/1क	0.121	0.121
			55/1ञ	0.130	0.110
			55/1च	0.049	0.049
			55/2	0.656	0.200
			104/1	0.182	0.010
			113/5	0.214	0.100
			113/6	0.283	0.143
			112/1	0.125	0.032
			112/2	0.024	0.024
			112/6	0.024	0.024
			114/1	0.016	0.016
			114/2	0.040	0.040
			114/3	0.016	0.016
			115/1	0.166	0.040

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	सराईपाली/35	115/3	0.089	0.089
			115/4	0.073	0.073
			116/1	0.190	0.083
			116/2	0.024	0.024
			116/3	0.053	0.053
			121	0.129	0.129
			122/1	0.170	0.011
			122/2	0.174	0.174
			46	0.547	0.121
			125/1	0.120	0.120
			125/2	0.080	0.080
			125/3	0.100	0.083
			126/1	0.020	0.010
			126/2	0.243	0.180
			126/3	0.134	0.134
			126/5	0.121	0.121
			127/1	0.202	0.135
			127/4	0.202	0.135
			127/7	0.202	0.135
			128	0.364	0.218
			129/2	0.040	0.040
			150/1	0.162	0.120
			150/2	0.809	0.120
			152	0.129	0.080
			160	0.587	0.320
			161/2	0.045	0.045
			139	0.202	0.160
			140/2	0.299	0.260
			141	0.121	0.121
			142	0.121	0.121
			143/1	0.073	0.040
			185/1	0.069	0.069
			185/2	0.700	0.087
			185/3	0.040	0.020
			184	0.405	0.010
			179/2	0.142	0.142
			179/3ख	0.046	0.046
			179/3ग	0.032	0.032
			179/6	0.142	0.142
			180	0.263	0.263
			181/1	0.065	0.065
			181/2	0.008	0.008
			182	0.291	0.121

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	सराईपाली/35	183/1	0.479	0.295
			183/2	0.621	0.081
			176	0.291	0.291
			174/1	0.421	0.040
			174/2	0.150	0.040
			171/1	0.049	0.040
			171/2	0.049	0.040
			171/3	0.089	0.080
			173/4	0.231	0.231
			173/7	0.202	0.089
			172	0.235	0.060
			82	0.186	0.040
			77	0.142	0.012
			144/1	0.056	0.040
			47/2	0.142	0.043
			47/3	0.162	0.043
			147/2	0.413	0.185
			148/1	0.040	0.016
			148/2	0.340	0.071
		योग	**88**	**17.164**	**8.541**

रायगढ़, दिनांक 15 जून 2015

प्रारूप-घ

(नियम 6 देखिये)

क्रमांक 64/बी-121/2013-14.— राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है.) की धारा 3 का उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़ को अधिसूचना क्रमांक 64/बी-121/2013-14 दिनांक 26 जून 2014 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न सूची में विनिर्दिष्ट भूमि में एन.टी.पी.सी. लारा परियोजना के लिए जल परिवहन द्वारा साराडीह बैराज से भूमिगत पाईपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 22 अगस्त 2014 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अभिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है और उक्त भूमिगत पाईपलाइन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईपलाइन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईपलाइन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग का अधिकार सभी बिल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नंबर	कुल रकबा (हे. में)	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	केशापाली/34	1/2	0.405	0.160
			4/1	0.097	0.080
			4/2	0.101	0.080
			4/3	0.162	0.162
			4/4	0.081	0.040
			4/5	0.182	0.131
			4/6	0.134	0.134
			8/4	0.136	0.024
			8/5	0.186	0.186
			21/2	0.202	0.080
			10	0.530	0.160
			11/1	0.061	0.061
			11/3	0.283	0.106
			12	0.506	0.070
			22/2	0.145	0.121
		योग	**15**	**3.211**	**1.594**

रायगढ़, दिनांक 15 जून 2015

प्रारूप-घ
(नियम 6 देखिये)

क्रमांक 65/बी-121/2013-14.— राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है.) की धारा 3 का उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़ को अधिसूचना क्रमांक 65/बी-121/2013-14 दिनांक 26 जून 2014 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न सूची में विनिर्दिष्ट भूमि में एन.टी.पी.सी. लारा परियोजना के लिए जल परिवहन द्वारा साराडीह बैराज से भूमिगत पाईपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 22 अगस्त 2014 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अभिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है और उक्त भूमिगत पाईपलाइन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईपलाइन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईपलाइन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग का अधिकार सभी बिल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नंबर	कुल रकबा (हे. में)	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	गोतमा/37	32/3	0.190	0.160
			38/1	0.251	0.040
			38/2	0.247	0.162
			39/2	0.202	0.056
			65/1	0.510	0.320
			60/1	0.263	0.028
			64	0.283	0.105
			62	0.474	0.121
			63	0.340	0.072
			61	0.454	0.125
			84/947/2	0.073	0.064
			104/84/949	0.478	0.178
			84/948/1	0.178	0.121
			103, 105	0.299	0.121
			102	0.105	0.096
			167	0.360	0.121
			100	0.886	0.121
			334/1	0.194	0.194
			334/2	0.591	0.046
			930/28	0.162	0.150
			930/31	0.304	0.240
			934/1	0.121	0.040
			934/2	0.061	0.040
			933/1	0.079	0.004
			930/33	0.324	0.260
			923/3	0.223	0.089
			914	0.073	0.024
			915	0.109	0.056
			917/1	0.067	0.040
			917/2	0.067	0.020
			920	0.202	0.080
			922/1	0.040	0.024
			922/2	0.090	0.040

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	गोतमा/37	922/3	0.024	0.016
			166	0.125	0.056
			163	0.219	0.215
			162/1	0.125	0.061
			162/2	0.105	0.060
			164/1	0.146	0.060
			164/2	0.340	0.202
			313	0.105	0.080
			312	0.202	0.040
			314/2	0.134	0.072
			314/3	0.121	0.108
			314/4	0.182	0.182
			319/1	0.210	0.093
			319/2	0.077	0.012
			317/2	0.109	0.109
			317/4	0.174	0.051
			318/1	0.134	0.020
			318/2	0.073	0.020
			344	0.020	0.020
			345/1	0.182	0.101
			345/2	0.170	0.170
			345/3	0.162	0.162
			343	0.069	0.069
			341/2	0.409	0.056
			342	0.073	0.050
			337	0.231	0.004
			336	0.425	0.162
			346	1.177	0.050
			347	0.089	0.089
			930/20	0.324	0.160
			932/1	0.129	0.049
			932/2	0.214	0.096
			930/34	0.121	0.080
			930/35	0.162	0.010
			929/3	0.324	0.010
			4/1	0.431	0.064
			4/3	0.050	0.050
			3/1	0.380	0.027
			3/2	0.094	0.094
			16/1	0.088	0.024
			16/2	0.088	0.024
			28	0.231	0.080
			29/2	0.087	0.040
			29/3	0.087	0.087
			348/2	0.178	0.010

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	गोतमा/37	2/2	0.283	0.170
			39/1	0.482	0.073
			39/3	0.409	0.162
			921	0.049	0.040
			335	0.206	0.006
			930/29	0.304	0.020
			318/4	0.077	0.030
			318/3	0.073	0.020
			37	0.607	0.182
			15	0.356	0.081
			12/1	0.069	0.069
			161/1	0.130	0.006
			13/3, 13/4	0.271	0.121
		योग	**93**	**20.216**	**7.633**

के. एस. मण्डावी,
सक्षम प्राधिकारी एवं
अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़
शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 जून 2015

क्रमांक 21/चार/निरर्हित/2014/1494.—भारत निर्वाचन आयोग, नई-दिल्ली के आदेश संख्या 76/छ.ग.-वि.स./2013, दिनांक 07 मई, 2015 द्वारा विधान सभा साधारण निर्वाचन-2013 में जिला रायपुर, धमतरी, दुर्ग एवं कबीरधाम से निर्वाचन लड़ने वाले ऐसे अभ्यर्थियों जिनके द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल न करने अथवा रीति के अनुसार लेखा दाखिल करने में असफल रहे अभ्यर्थियों को आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित किया गया है. भारत निर्वाचन आयोग का आदेश सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

निधि छिब्बर,
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, तारीख 7 मई, 2015—17 वैशाख, 1937 (शक)

आदेश

सं. 76/छ.ग.-वि.स./2013.—यत: निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट छत्तीसगढ़ राज्य से विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2013 के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ/है स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त

सारणी के स्तम्भ (5) में यथादर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने अथवा रीति के अनुसार लेखा दाखिल करने में असफल रहा है;

और, यत: उक्त अभ्यर्थियों ने, सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिये गये अभ्यावेदनों पर यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है.

अत: अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और सदस्य होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है :—

सारणी

क्रम सं.	निर्वाचन का विवरण	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम	अभ्यर्थी का नाम व पता	निरर्हता का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	छत्तीसगढ़ विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2013	50-रायपुर नगर उत्तर	संजय नाग मकान नं.-1864, नहरपारा, एकतानगर, गुढ़ियारी, रायपुर तह. व जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़.	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे.
2.	—वही—	—वही—	मसाहीद खान सुभाष नगर, मौदाहापारा, रायपुर, छत्तीसगढ़.	—वही—
3.	—वही—	58-धमतरी	नवीन चन्द्र दीक्षित अन्नपूर्णा सॉ मिल, सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड, रायपुर रोड, धमतरी, छत्तीसगढ़.	—वही—
4.	—वही—	—वही—	हिंरदेलाल नेताम ग्राम-तुमराबहरा, पो.-शांतिपुर, थाना-रूद्री, तहसील व जिला-धमतरी, छत्तीसगढ़	—वही—
5.	—वही—	63-दुर्ग ग्रामीण	मेनका गोस्वामी सड़क नं. -7, ब्लाक 3, रूम नं.-11, हास्पिटल सेक्टर-9, भिलाई नगर, वार्ड 52, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़	—वही—
6.	—वही—	—वही—	श्यामल मित्रा मकान नं. 0/9, आदर्श नगर, दुर्ग, छत्तीसगढ़.	—वही—
7.	—वही—	—वही—	नारायण प्रसाद यादव वार्ड क्र.-15, यादव होटल, धमधा नाका दुर्ग, तह. व जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़.	—वही—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8.	छत्तीसगढ़ विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2013	65-भिलाई नगर	मो. इमरान खान मकान नं.-159, गुरू घासीदास वार्ड एफ 33, खुर्सीपार, भिलाई, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़.	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे.
9.	—वही—	71-पण्डरिया	चंद्रीका चंद्रवंशी ग्राम-बिरकोना, पोस्ट-धरमपुरा, तहसील-कवर्धा, जिला-कबीरधाम, छत्तीसगढ़.	—वही—

आदेश से,

आर. के. श्रीवास्तव
प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, dated 7th May 2015—17 Vaishakha, 1937 (Saka)

ORDER

No. 76/CG-LA/2013.—Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidates specified in column (4) of the Table below at the General Election to the Legislative Assembly, 2013 from the State of Chhattisgarh as specified in column (2) held from the constituency specified in column (3) against his/her name, has failed to lodge any account of his/her election expenses at all or in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the rules made thereunder as shown in column (5) of the said table;

And Whereas, the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice of the Election Commission, or after considering the representation if any, made by them, the Election Commission is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (4) of the table below to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State/Union Territory for a period of three years from the date of this order :—

TABLE

S. No.	Particulars of Election	Number & Name of the Assembly Constituency	Name & Address of the Candidate	Reason of disqualification
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	General Election to the Legislative Assembly 2013 from the State of Chhattisgarh	50-Raipur Nagar North	Sanjay Nag House No.-1864, Nahar Para, Ekta Nagar, Gudhiyari, Raipur, Tahsil & Dist-Raipur Chhattisgarh.	Failure to lodge any account of election expenses

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	General Election to the Legislative Assembly 2013 from the State of Chhattisgarh	50-Raipur Nagar North	Masahid Khan Subhash Nagar, Moudahapara, Raipur Chhattisgarh	Failure to lodge any account of election expenses
3.	—do—	58-Dhamtari	Navin Chandra Dixit Annapurna Saw Mill, Sardar Vallabh Bhai Patel Ward, Raipur Road, Dhamtari Chhattisgarh.	—do—
4.	—do—	—do—	Hirde Lal Netam Village-Tumrabahar, Post-Shantipur, Thana-Rudri, Tahsil & District-Dhamtari Chhattisgarh.	—do—
5.	—do—	63-Durg Rural	Menka Goswami St. No.-7, Bl No.-3, Room No.-11, Hospital Sector-9 Bhilai Nagar, Ward No.-52, Distt.-Durg Chhattisgarh.	—do—
6.	—do—	—do—	Shyamal Mitra House No. 0/9, Adarsha Nagar, Durg, Distt.-Durg, Chhattisgarh.	—do—
7.	—do—	—do—	Narayan Prasad Yadav Ward No. 15, Yadav Hotel, Dhamdha Naka, Durg Tah. & Distt.-Durg Chhattisgarh.	—do—
8.	—do—	65-Bhilai Nagar	Mo. Imran Khan Qu. No. 159, Guru Ghasidas Ward F-33, Khursipar, Bhilai, Chhattisgarh	—do—
9.	—do—	71-Pandriya	Chandrika Chandravanshi Village Birkona, Post Dharampura, Tahsil-Kawardha, Distt.-Kabirdham Chhattisgarh.	—do—

By order,

R. K. SHRIVASTAVA
Principal Secretary,
Election Commission of India.